खण्ड–7, अंक–2
सोमवार, 25 अग्रहायण, शक संवत् 1924
(16 दिसम्बर, 2002 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2002)

(खण्ड–7 में 4 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	क
उत्तरांचल राज्य आंदोलनकारियों के मुकदमें वापस लेने की सूचना को नियम 311 के अन्तर्गत उठाने का प्रयास	1
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं	1–2
प्रश्नोत्तर	2–42
राजधानी देहरादून में दिनांक 13–12–2002 को मा0ज0पा0 प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	43–61
नियम 301 एवं नियम 56 की सूचनाएं (अस्वीकृत)	62
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2001–2002 (सदन के पटल पर रखा गया)	62
उत्तरांचल विधान सभा के द्वितीय सत्र में प्राप्त नियम 301 की सूचनाओं पर सरकार द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	62
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	62–63
वित्तीय वर्ष 2002–2003 के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान	63
अनुदान संख्या 01, विधान सभा (स्वीकृत)	63
अनुदान संख्या 03, मंत्रिपरिषद (स्वीकृत)	64
अनुदान संख्या 04, न्याय प्रशासन (स्वीकृत)	64
अनुदान संख्या 05, निर्वाचन (स्वीकृत)	64
अनुदान संख्या 06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन (स्वीकृत) ...	65
अनुदान संख्या 07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें (स्वीकृत)	65
अनुदान संख्या 08, आबकारी (स्वीकृत)	65
अनुदान संख्या 09, लोक सेवा आयोग (स्वीकृत)	66
अनुदान संख्या 10, पुलिस एवं जेल (स्वीकृत)	66
अनुदान संख्या 11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति (स्वीकृत)	66
अनुदान संख्या 12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण (स्वीकृत) ...	67

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास (स्वीकृत) ...	67
अनुदान संख्या 14, सूचना (स्वीकृत)	67
अनुदान संख्या 15, कल्याण योजनाएं (स्वीकृत)	68
अनुदान संख्या 16, श्रम एवं रोजगार (स्वीकृत)	68
अनुदान संख्या 17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान (स्वीकृत) ...	68
अनुदान संख्या 18, सहकारिता (स्वीकृत)	69
अनुदान संख्या 19, ग्राम्य विकास (स्वीकृत)	69
अनुदान संख्या 20, सिंचाई एवं बाढ़ (स्वीकृत)	69
अनुदान संख्या 21, ऊर्जा (स्वीकृत)... ...	70
अनुदान संख्या 22, लोक निर्माण कार्य (स्वीकृत)	70
अनुदान संख्या 23, उद्योग (स्वीकृत)	70
अनुदान संख्या 24, परिवहन (स्वीकृत)	71
अनुदान संख्या 25, खाद्य (स्वीकृत)... ...	71
अनुदान संख्या 26, पर्यटन (स्वीकृत)	71
अनुदान संख्या 28, पशुपालन (स्वीकृत)	71–72
उत्तरांचल विनियोग (2002–2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2002 (पारित)	72–75
उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2002 (पारित)... ...	76–77
उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) विधेयक, 2002 (पारित)	77–78
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2002 (पारित)	78–81
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2002 (पारित)	82–85
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं (अस्वीकृत)	85

उपस्थिति

1–श्री अजय भट्ट
2–श्री अनिल नौटियाल
3–श्रीमती अमृता रावत
4–श्रीमती आशा देवी
5–(डा0) श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
6–श्री उम्मेद सिंह मांजिला
7–श्री काशी सिंह ऐरी
8–श्री किशोर उपाध्याय
9–श्री कैलाश शर्मा
10–श्री गगन सिंह
11–श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
12–श्री गोपाल सिंह
13–श्री जोत सिंह
14–श्री तसलीम अहमद
15–श्री तिलक राज बेहड़
16–श्री तेजपाल सिंह रावत
17–श्री दिनेश अग्रवाल
18–श्री नव प्रभात
19–श्री नारायण पाल
20–श्री नारायण राम आर्य
21–श्री नारायण सिंह जंतवाल
22–श्री प्रकाश पंत
23–श्री कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
24–डा0 प्रताप बिष्ट
25–श्री प्रदीप टम्टा
26–श्री प्रीतम सिंह
27–श्री प्रीतम सिंह पंवार
28–श्री प्रेमानन्द महाजन
29–श्री फूल सिंह बिष्ट
30–श्री बलबीर सिंह नेगी
31–श्री विजय पाल सिंह सजवाण
32–श्री बिशन सिंह चुफाल
33–श्री भगत सिंह कोश्यारी
34–श्री मदन कौशिक
35–श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
36–श्री महेन्द्र भट्ट
37–श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)
38–श्री मातबर सिंह कण्डारी
39–श्री मालचन्द्र
40–श्री (चौधरी) यशवीर सिंह
41–श्री रणजीत सिंह
42–श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
43–श्री राम प्रसाद टम्टा
44–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
45–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
46–श्री शूरवीर सिंह
47–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
48–श्री शहजाद
49–श्री साधू राम
50–श्री सुबोध उनियाल
51–श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
52–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
53–श्री सुरेश चन्द जैन
54–डा0 हरक सिंह रावत
55–श्री हरबंस कपूर
56–श्री हरिदास
57–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
58–श्री हीरा सिंह बिष्ट
59–श्री हेमेश खर्कवाल

सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2002 ई०

(विधान सभा की बैठक सभामण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई)

उत्तरांचल राज्य आन्दोलनकारियों के मुकदमें वापस लेने की सूचना को नियम 311 के अन्तर्गत उठाने का प्रयास

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, राज्य आंदोलनकारियों के मुकदमें वापस लेने के सम्बन्ध में पिछली सरकार द्वारा तथा इस सरकार द्वारा सदन के अन्दर व बाहर बहुत कुछ कहा गया। कृपया इस प्रकरण को नियम 311 में सुन लें। (भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा उत्तराखण्ड क्रांति दल के सभी माननीय सदस्य खड़े होकर अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(तत्पश्चात् भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा उत्तराखण्ड क्रांति दल के सदस्य वेल में आकर नारे लगाने लगे)

"तानाशाही नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, गुण्डागर्दी नहीं चलेगी, लूली लंगड़ी सरकार नहीं चलेगी, उत्तराखण्ड आंदोलनकारियों के मुकदमें वापस लो, दमन के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी आदि"

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 311 के अन्तर्गत श्री प्रकाश पन्त, श्री अजय भट्ट, श्री मदन कौशिक, श्री हरबंस कपूर, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्री बिशन सिंह चुफाल तथा श्री कैलाश शर्मा की सूचना प्राप्त हुई है। जो दिनांक 13–12–2002 को प्रदर्शनकारियों पर हुई लाठी चार्ज के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री काशी सिंह ऐरी, श्री नारायण सिंह जन्तवाल तथा श्री प्रीतम सिंह पंवार की उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी नेताओं के मुकदमों को वापस लेने के सम्बन्ध में है। तीसरी श्री बलबीर सिंह नेगी की 19 अगस्त, 2002 को टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत बूढ़ाकेदार में बादल फटने से हुई जन–धन की हानि के सम्बन्ध में है। चूँकि प्रश्नकाल आज ही का है इसलिए इसे प्रश्नकाल के बाद नियम 58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लिया जाएगा। (घोर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के माननीय सदस्य वेल में खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने लगे और नारे लगाने लगे)

"गुण्डा गर्दी की सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी"

"लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी"

"दमन के बल पर सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी"

"भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी"

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी दलों के नेताओं से अनुरोध है कि आप मेरे कक्ष में आ जायें और हम बैठकर बात कर लेते हैं। मैंने पहले भी अनुरोध किया है कि मैं आपकी सूचना को नियम 56 के अन्तर्गत सुन लूंगा, आप कृपा करके अपना आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

मैंने पहले भी कहा कि नियम 56 के अन्तर्गत मैं आपकी सूचना सुन लूँगा। प्रश्नकाल आपका है इसका उपयोग कीजिए और यदि कोई विशेषाधिकार का मामला है तो उसे आप निश्चित उठायें, मैं निश्चित रूप से उस पर आप को सुन लूँगा। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपना आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

मैं सदन को 12.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12.20 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

प्रश्नोत्तर

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त

स्थगित तारांकित प्रश्न

उत्तरांचल में लघु जल विद्युत निगम की परियोजनाओं एवं इनके उत्पादन में वृद्धि की योजना

*1–श्री प्रकाश पंत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में लघु जल विद्युत निगम की उत्तरांचल में, कितनी परियोजनायें कार्य कर रही है ?

इन परियोजनाओं का उत्पादन लक्ष्य, प्रति परियोजना क्या निर्धारित था ? प्रत्येक परियोजना कितना उत्पादन कर रही है ?

क्या लक्ष्य से कम उत्पादन करने वाली परियोजनाओं के उत्पादन में वृद्धि के सम्बन्ध में सरकार की कोई कार्ययोजना है ? यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

वर्तमान में उत्तरांचल जल विद्युत निगम की 16 परियोजनाएं कार्य कर रही हैं जिनकी सूची संलग्नक 1 पर है। संलग्नक 2 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से हस्तान्तरित एवं बन्द 15 परियोजनाओं की सूची संलग्न है। इसके अतिरिक्त जनपद पिथौरागढ़ में निर्मित सोवला प्रथम चरण की परियोजना (6 मेगावाट) अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त होने से कार्य नहीं कर रही है, जिसका पुनरोद्धार कार्य प्रस्तावित है। गंगोत्री में 20 किलोवाट क्षमता की परियोजना उत्तरांचल पावर कारपोरेशन द्वारा चलाई जा रही है।

संलग्नक 1 में वर्णित उत्पादनरत परियोजनाओं का उत्पादन लक्ष्य एवं उत्पादन की सूचना तत्स्थान में दी गई है।

जी हाँ, जिन परियोजनाओं में उत्पादन लक्ष्य के विपरीत उत्पादन कम है, के सम्बन्ध में कारण एवं प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण संलग्नक 3 पर संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्पादन परियोजनाएं

संलग्नक–1

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	जिला	क्षमता (कि0वा0 में)	वर्ष 2001–02 का उत्पादन लक्ष्य (यूनिट में)	वर्ष 2001–02 में उत्पादित ऊर्जा (यूनिट में)	अप्रैल 2002 से नवम्बर 2002 में उत्पादन लक्ष्य (यूनिट में)	अप्रैल 2002 से नवम्बर 2002 तक उत्पादित ऊर्जा (यूनिट में)
1.	कोटाबाग	नैनीताल	200	250000	359492	250000	227600
2.	कंचौटी	पिथौरागढ़	2000	7000000	9317400	7000000	8195100
3.	कुलागाड	पिथौरागढ़	1200	3000000	2389301	2600000	3390700
4.	सप्तेश्वर	चम्पावत	300	500000	217848	270000	99400
5.	बरार	पिथौरागढ़	750	2000000	1703774	2060000	1613000
6.	छिरकिला	पिथौरागढ़	1500	6000000	3963100	3950000	4405000
7.	उरगम *	चमोली	3000	10000000	8131398	7500000	7452800
8.	थराली *	चमोली	400	Nil	Nil	410000	222800
9.	सुरिनगाड	पिथौरागढ़	800	1500000	1683500	930000	1002500
10.	हर्षिल	उत्तरकाशी	200	250000	170604	107000	190400
11.	गौरी	चम्पावत	200	300000	218660	220000	108100
12.	छानदेव	पिथौरागढ़	400	700000	850404	680000	570400
13.	तालेश्वर	पिथौरागढ़	600	1050000	985894	880000	885500
14.	गरांव	पिथौरागढ़	300	100000	132296	490000	389100
15.	ग्लोगी	देहरादून	3000	1750000	2368000	2100000	2352000
	कुल योग		14850	33400000	32492259	29587000	31110200

* निकासी व्यवस्था न होने के कारण उत्पादन नगण्य।

संलग्नक–2

तत्कालीन उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद से हस्तान्तरित (बन्द स्थिति में) परियोजनाएं

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	जिला	क्षमता (कि0वा0)	वर्तमान स्थिति	अनुमानित व्यय (लाख रू0 में)		टिप्पणी
					राज्य अंश	एम0एन0ई0एस0 सहायता	
16.	पाण्डुकेश्वर	चमोली	750.00	बन्द	41.95	125.80	पुनरोद्धार कार्य अंतिम चरण में है
17.	तपोवन	चमोली	800.00	बन्द	41.75	125.25	पुनरोद्धार कार्य चल रहा है
18.	तिलवाड़ा *	रुद्रप्रयाग	200.00	बन्द	63.40	40.00	पुनरोद्धार कार्य अंतिम चरण में है
19.	गंगोरी (विस्तार सहित)	उत्तरकाशी	800.00	बन्द	49.75	149.25	पुनरोद्धार कार्य चल रहा है
20.	कोटी *	उत्तरकाशी	200.00	बन्द	46.00	40.00	पुनरोद्धार कार्य चल रहा है
21.	धारचुला *	पिथौरागढ़	200.00	बन्द	51.87	40.00	पुनरोद्धार कार्य अंतिम चरण में है
22.	चमोली (विस्तार सहित)	चमोली	800.00	बन्द	38.50	115.50	पुनरोद्धार कार्य प्रारम्भ किया जाना है
23.	गुप्तकाशी	रुद्रप्रयाग	200.00	बन्द	10.00	40.00	पुनरोद्धार कार्य प्रारम्भ किया जाना है
24.	बद्रीनाथ (विस्तार सहित)	चमोली	60.00	बन्द	10.75	12.00	आंशिक रूप से पुनरोद्धार कार्य किया गया है
25.	दुर्गापुर	नैनीताल	1150.00	बन्द	80.00	230.00	पुनरोद्धार कार्य चल रहा है
26.	बागेश्वर	बागेश्वर	50.00	बन्द	15.00	10.00	पुनरोद्धार कार्य प्रारम्भ किया जाना है
27.	भटवारी	उत्तरकाशी	50.00	बन्द	10.00	10.00	पुनरोद्धार कार्य के संबंध में अध्ययन किया जा रहा है
28.	गैरीखेड़ा	पौड़ी	200.00	बन्द	15.00	40.00	पुनरोद्धार कार्य के संबंध में अध्ययन किया जा रहा है
29.	देवप्रयाग	पौड़ी	100.00	बन्द			पुनरोद्धार कार्य के संबंध में अध्ययन किया जा रहा है
30.	केदारनाथ	रुद्रप्रयाग	20.00	ग्लेशियर स्खलन से बह गयी थी।			
	कुल योग		5580.00		473.97	977.80	

* प्रस्ताव एमएनईएस में जमा किया जा चुका है।

नोट– 1. उपर्युक्त के अतिरिक्त गंगोत्री लघु जल विद्युत परियोजना (20 कि0वा0) उत्तरांचल पावर कार्पोरेशन के नियंत्रणाधीन है।

2. तथा सोबला प्रथम चरण (2 x 3000 कि0वा0) जो जुलाई 2000 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गयी थी, का पुनरोद्धार का कार्य किया जाना है।

संलग्नक–3

तालिका 1 में दिये गये लघु जल विद्युत परियोजनाओं के उत्पादन लक्ष्य से कम होने का कारण

1. कोटाबाग (2 x 100 कि0वा0) इस वर्ष जल स्राव के कम उपलब्धता के कारण उत्पादन कम हुआ।

2. रामेश्वर (2 x 150 कि0वा0) इस वर्ष जल स्राव के कम उपलब्धता के कारण उत्पादन कम हुआ।

3. बरार (2 x 175 कि0वा0) इस वर्ष जल स्राव के कम उपलब्धता के कारण उत्पादन कम हुआ।

4. उरगम (2 x 1500 कि0वा0) जोशीमठ में ग्रिड फैल होने के कारण इस वर्ष उत्पादन कम हुआ। अब ग्रिड ठीक हो गया है।

5. थराली (1 x 400 कि0वा0) विद्युत निकासी व्यवस्था न होने के कारण इस वर्ष कम उत्पादन हुआ। परियोजना को 11 के0वी0 लाइन द्वारा 33/11 के0वी0 नारायण बगड़ उपस्थान से जोड़ने का कार्य प्रस्तावित है।

6. गौरी (2 x 100 कि0वा0) इस वर्ष जल स्राव कम होने के कारण उत्पादन कम हुआ।

7. छरनदेव (2 x 200 कि0वा0) इस वर्ष जल स्राव कम होने के कारण उत्पादन कम हुआ।

8. गरांव (2 x 160 कि0वा0) इस वर्ष जल स्राव कम होने के कारण उत्पादन कम हुआ।

तारांकित प्रश्न

2001–2002 में केन्द्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश की तुलना में उत्तरांचल को आवंटित धनराशि

*1–डा0 नारायण सिंह जंतवाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्रीय करों से मिलने वाली अनुदान राशि में उत्तरांचल राज्य को हिमाचल प्रदेश एवं अन्य पर्वतीय राज्यों के समकक्ष रखा गया है ?

यदि हाँ, तो वर्ष 2001–2002 में हिमाचल प्रदेश की तुलना में उत्तरांचल को कितनी धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में वानिकी एवं पर्यटन विषय सम्मिलित करने की मांग

*2–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में वानिकी और पर्यटन विषय सम्मिलित हैं ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार छात्र–छात्राओं और प्रदेश के हित में उक्त विषयों को लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित किये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तरांचल लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सम्मिलित राज्य सिविल सेवा एवं प्रवर वर्ग/अवर वर्ग सहायक परीक्षाओं में वानिकी एवं पर्यावरण विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। परन्तु पर्यटन विषय सम्मिलित नहीं किया गया है।

लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सम्मिलित विषयों का पाठ्यक्रम स्नातक स्तर का है। राज्य में अभी स्नातक स्तर में पर्यटन अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है। अतः अभी पर्यटन विषय को लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित किये जाने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद उत्तरकाशी के कफनौल आदि ग्रामों में विद्युत आपूर्ति

*3–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में कफनौल, हिमरौल, ठोल्यूंका, दारसौं और गैर–गन्ना आदि ग्रामों में विद्युत आपूर्ति कब से बन्द है ?

क्या सरकार यथा शीघ्र उल्लिखित ग्रामों में विद्युत आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के ग्राम कफनौल, हिमरौल, ठोल्यूक्या, दारसौ एवं गैर मन्ना को विद्युत व्यवस्था वर्ष 1992–93 में भारी हिमपात के कारण 11 के0वी0 एवं एल0टी0 लाइनों के क्षतिग्रस्त होने के कारण बन्द हो गयी थी।

जून, 2003 तक विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

विभागों के मुख्यालयों पर तैनात सरकारी वाहनों पर नियंत्रण

*4–श्री मदन कौशिक–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की विषम आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मितव्ययिता हेतु कोई प्रभावी कदम उठाये गये हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रदेश के सभी विभागों के मुख्यालयों पर तैनात अधिकारियों को उपलब्ध सरकारी वाहनों के प्रयोग पर नियंत्रण रखने हेतु विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

सरकारी वाहनों के निजी प्रयोग पर नियमानुसार निर्धारित धनराशि राजकोष में जमा की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन की अनुदान योजना पुनः आरम्भ किये जाने की मांग

*5–श्री कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि किसानों को निजी नलकूप के कनेक्शन हेतु शासन द्वारा पूर्व में 300 मीटर केबल, दो खम्भे तथा ट्रान्सफार्मर उपलब्ध कराये जाते थे ?

यदि हाँ, तो क्या उक्त अनुदान योजना को पुनः आरम्भ किया जाएगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

जी हाँ, यह योजना वित्तीय वर्ष 2002–03 से लागू की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत उत्पादन एवं अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु

*6–श्री हरबंश कपूर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विद्युत का उत्पादन कितना है ?

तथा वितरित विद्युत का कितना भाग लाइन लासेस एवं कितना भाग चोरी में चला जाता है ?

क्या सरकार विद्युत चोरी रोकने, लाइन लासेस को कम करने तथा अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कोई कारगर कदम उठायेगी ?

श्रीमती अमृता रावत–

प्रदेश में वार्षिक विद्युत उत्पादन औसतन लगभग 3200 मिलियन यूनिट है।

वितरित विद्युत का औसतन लगभग 35 प्रतिशत भाग लाइन हानियों/चोरी में चला जाता है।

जी हाँ। केन्द्र सरकार द्वारा घोषित ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अंतर्गत लाइन हानियों व चोरी रोकने हेतु प्रदेश में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। यह योजना तीन वर्षों में पूर्ण की जायेगी। इस योजना में नये लाइनों/उपसंस्थानों का निर्माण, जर्जर एवं अधिक भारयुक्त उपसंस्थान/ट्रान्सफार्मर/लाइनों का सुदृढ़ीकरण, सभी संयोजनों पर मीटर लगाने तथा सभी फीडरों पर मीटर लगा कर इनर्जी आडिटिंग की व्यवस्था की जाने की व्यवस्था की गई है।

किसानों के गन्ना मिल पर बकाया धनराशि का भुगतान

*7–काजी निजामुद्दीन–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य में किसानों का किस–किस गन्ना मिल पर दिनांक 31–07–2002 तक क्रमशः कितना–कितना रुपया बकाया है ?

क्या सरकार इन कृषकों की बकाया राशि के भुगतान के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तरांचल स्थित चीनी मिलों पर दिनांक 31–07–2002 को बकाया गन्ना मूल्य की चीनी मिलवार स्थिति निम्न प्रकार है:–

नाम चीनी मिल	दिनांक 31-07-2002 को बकाया गन्ना मूल्य (लाख रु0 में)
नादेही	79.11
बाजपुर	112.33
गदरपुर	617.37
सितारगंज	963.00
किच्छा	1110.00
डोईवाला	686.81
काशीपुर	773.56
लक्सर	00.00
इकबालपुर	570.57
लिब्बरहेड़ी	333.80
कुल योग	5246.55

किसानों का उक्त बकाया गन्ना मूल्य भुगतान कराने हेतु हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं, इसी क्रम में चीनी मिलों से सम्बन्धित बैंकों से अतिरिक्त मार्जिन मनी के रूप में धन जुटाने, उत्तरांचल मण्डी परिषद से ऋण तथा सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को अंशपूंजी के रूप में धनराशि उपलब्ध कराते हुए गन्ना मूल्य भुगतान कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

बिजली के अशुद्ध बिलों को शुद्ध करने के उपाय

*8—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब से कम्प्यूटर के द्वारा बिल बन रहे हैं तब से अधिकांश विद्युत बिलों में कई अशुद्धियां पाई जा रही हैं ?

जिसके कारण उपभोक्ताओं को बिल जमा करते समय परेशानियों का सामना करना पड़ता है ?

क्या सरकार अशुद्ध बिलों को शुद्ध करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जब से कम्प्यूटर के द्वारा बिल बन रहे हैं अशुद्धियां अपेक्षाकृत काफी कम हैं। कम्प्यूटर डाटा प्रोसेसिंग सैन्टर द्वारा बिल छापने से पूर्व चैक लिस्ट विभाग को अशुद्धियों की जांच हेतु उपलब्ध करायी जाती है एवं अशुद्धियों को ठीक करने के उपरान्त ही विद्युत बिल निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार अशुद्धियां रोकने के पूरे प्रयास किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त विशेष

कैम्प लगाकर सम्बन्धित खण्ड द्वारा इस प्रकार की समस्याओं का निवारण किया जा रहा है।

उक्तानुसार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में "पोटा" को क्रियान्वित करने की योजना

*9—श्री अजय भट्ट—

क्या मुख्यमंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में आतंकवादियों एवं आई0एस0आई0 की गतिविधियों को देखते हुए "पोटा" को क्रियान्वित करने की योजना शासन के विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

त्रिभाषा फार्मूला के अन्तर्गत बंगाली एवं पंजाबी भाषा सिखाने की व्यवस्था

*10—श्री प्रेमानन्द महाजन—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर में बंगाली एवं पंजाबी भाषा अधिसंख्यक लोगों को मातृ भाषा सिखाने हेतु त्रिभाषा फार्मूला के अन्तर्गत क्या व्यवस्था है ?

यदि नहीं, तो सरकार इस दिशा में कब तक कार्यवाही करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उच्च शिक्षा विभाग में जनपद ऊधमसिंह नगर में त्रिभाषा फार्मूला के अन्तर्गत बंगाली एवं पंजाबी भाषा सिखाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

सम्प्रति उच्च शिक्षा विभाग में इस आशय की कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

सितारगंज, नानकमत्ता एवं खटीमा आदि विद्युत केन्द्रों से सीमावर्ती प्रदेश में अवैध विद्युत आपूर्ति

*11—श्री नारायण पाल—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि सितारगंज, नानकमत्ता, खटीमा आदि राज्य के विद्युत केन्द्रों से सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले व अन्य स्थानों पर अवैध विद्युत आपूर्ति की जा रही है ?

क्या यह सत्य है कि उक्त स्थानों पर विद्युत आपूर्ति अधिकारियों की मिलीभगत से दी जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसे अधिकारियों को दण्डित करेगी ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति हेतु नीति निर्धारण

*12–मो0 शहजाद–

क्या ऊर्जा राज्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति हेतु कोई नीति निर्धारित की गई है ?

यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर सूखे की स्थिति को देखते हुए कृषि कार्यों हेतु 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की नीति है।

जहां कहीं भी विद्युत आपूर्ति में कमी हो रही है, उसका कारण वितरण व्यवस्था में अपरिहार्य/आकस्मिक व्यवधान है। यह प्रयत्न है सभी क्षेत्रों में आपूर्ति 24 घण्टे रहे।

प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को मूल्य वरीयता के साथ क्रय वरीयता नीति का परिपालन

*13–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल शासन ने प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को मूल्य वरीयता के साथ–साथ क्रय वरीयता देने का निर्णय लिया था ?

यदि हाँ, तो क्या उक्त नीति का परिपालन हो रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उद्योग नीति 2001 में क्रय वरीयता का उल्लेख नीति के पृष्ठ 24, प्रस्तर 1 पर किया गया है। जो शासनादेश दिनांक 8–10–2001 को निर्गत हुआ था उसमें त्रुटिवश क्रय व मूल्य वरीयताओं का उल्लेख किया गया था। परन्तु वास्तविकता यह थी कि वास्तविक रूप में मूल्य वरीयता का कोई लाभ नहीं मिला था। उद्यमियों द्वारा शासनादेश की इस विसंगति पर ध्यान आकर्षित किया गया। अतः शासनादेश को संशोधित करते हुए दिनांक 21–9–2002 को संशोधित आदेश निर्गत किये गये, जो उद्योग नीति 2001 के अनुरूप हैं।

उक्त आदेश द्वारा शासन की क्रय वरीयता नीति के परिपालन हेतु सभी विभागों के विभागाध्यक्ष एवं सरकारी निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं को निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के धर्मगंगा व बालगंगा के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में लघु जल विद्युत योजना

*14—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के धर्मगंगा व बालगंगा के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में लघु जल विद्युत योजना बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त योजना से प्रभावित ग्राम सभाओं से अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या यह सही है कि उक्त योजना के सम्बन्ध में किसी निजी कम्पनी से अनुबन्ध भी कर लिया गया है ?

यदि हाँ, तो अनुबन्ध की शर्त क्या है ?

श्रीमती अमृता रावत—

जी हाँ।

सम्बन्धित ग्रामों से अनापत्ति प्राप्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

जी हाँ, निम्नलिखित तीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में आवंटन पूर्ववर्ती राज्य के समय हुआ था जिन्हें उत्तरांचल में मान्य किया गया है तथा उत्तरांचल पावर कॉरपोरेशन लि0 के साथ विद्युत क्रय अनुबन्ध किया गया है:—

1. झालाकोटी — 3 मेगावॉट
2. अगुनडाथाटी — 3 मेगावॉट
3. कोट बूढ़ाकेदार — 3 मेगावॉट

अनुबन्ध की शर्त के अनुसार रु0 2.50 प्रति यूनिट पर उ0पा0का0लि0 को विद्युत बिक्री की जायेगी तथा समय—सारिणी के अनुसार परियोजना का निर्माण करना अनिवार्य किया गया है।

अतारांकित प्रश्न

सरकार द्वारा विभागों के पुनर्गठन कार्य की जानकारी

1—श्री अजय भट्ट—

क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि सरकार द्वारा विभागों का पुनर्गठन का कार्य पूर्ण कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो अभी तक किन–किन विभागों का पुनर्गठन कर दिया गया है तथा किन विभागों का पुनर्गठन होना शेष है ?

विभागों के पुनर्गठन का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सभी विभागों का पुनर्गठन कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

अभी तक 52 विभागों/संगठनों का पुनर्गठन कर दिया गया है। जिसकी सूची संलग्न है। अवशेष विभागों/संगठनों का पुनर्गठन शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

विभागों की सूची जिनके पुनर्गठन का कार्य पूर्ण हो चुका है

क्र0सं0	विभाग का नाम	क्र0सं0	विभाग का नाम
1.	व्यापार कर विभाग	27.	जलागम
2.	मनोरंजन कर विभाग	28.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं बाह्य सहायतित विभाग
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन	29.	राज्य योजना आयोग
4.	निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं	30.	अर्थ एवं संख्या निदेशालय
5.	रजिस्ट्रार चिट्स एण्ड फण्ड्स निदेशालय	31.	नियोजन विभाग
6.	निदेशक लेखा एवं हकदारी	32.	लघु सिंचाई विभाग
7.	राष्ट्रीय बचत निदेशालय	33.	चाय जड़ीबूटी विभाग
8.	बजट संसाधन एवं राजकोषीय विभाग	34.	उत्तरांचल विद्यालयीय शिक्षा परिषद
9.	परिवहन विभाग	35.	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
10.	कर्मचारी राज्य बीमा	36.	लोक सेवा आयोग उत्तरांचल
11.	भूतत्व एवं खनिकर्म	37.	पी0सी0एस0 (कार्मिक विभाग)
12.	रेशम निदेशालय	38.	चिकित्सा विभाग
13.	उद्योग विभाग	39.	पर्यटन विभाग
14.	प्रशिक्षण एवं सेवायोजन	40.	संस्कृति विभाग
15.	श्रम विभाग	41.	खेल विभाग
16.	सैनिक कल्याण विभाग	42.	सूचना विभाग
17.	गन्ना एवं चीनी उद्योग	43.	युवा कल्याण विभाग
18.	आबकारी विभाग	44.	राजस्व विभाग
19.	समाज कल्याण विभाग	45.	ग्राम्य विकास विभाग
20.	राज्य सम्पत्ति विभाग	46.	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
21.	कृषि एवं कृषि विपणन	47.	पंचायतीराज विभाग
22.	लोक निर्माण विभाग	48.	पशुधन विभाग
23.	राजकीय मुद्रणालय	49.	मत्स्य विकास विभाग
24.	विद्युत सुरक्षा	50.	डेयरी विकास विभाग
25.	उद्यान विभाग	51.	सहकारिता विभाग
26.	सचिवालय प्रशासन	52.	गृह विभाग (पी0पी0एस0)

लघु जल विद्युत परियोजना तिलवाड़ा, रुद्रप्रयाग के अब तक चालू न होने के कारण

2–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि लघु जल विद्युत परियोजना तिलवाड़ा, रुद्रप्रयाग को कब तक चालू किया जायेगा ?

उक्त योजना के अब तक चालू न होने के क्या कारण रहे ?

श्रीमती अमृता रावत–

इस परियोजना की प्रथम इकाई को दिनांक 10–12–02 को चालू कर दिया गया है तथा द्वितीय इकाई भी माह दिसम्बर, 2002 में ही चालू कर दी जायेगी।

राज्य विभाजन के परिपेक्ष्य में धनाभाव तथा प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थिति के कारण उक्त परियोजना को चालू करने में विलम्ब हुआ।

देहरादून में आवासीय भवनों के ऊपर से विद्युत लाइनों को हटाये जाने की योजना

3–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून में अपर राजीव नगर एवं शिवनगर आवासीय क्षेत्रों में विद्युत लाइनों को आवासीय भवनों के ऊपर से हटाने की सरकार की कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो कब तक यह कार्य प्रारम्भ हो जाएगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चूंकि दोनों आवासीय क्षेत्रों में विद्युत लाइन पहले से विद्यमान थी। इनका स्थानान्तरण आवास निर्माताओं द्वारा स्थानान्तरण का व्यय वहन करने पर किया जा सकता है।

नैनीताल शहर को "ए" श्रेणी में सम्मिलित करने का निर्णय

4–डा0 नारायण सिंह जंतवाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि "मकान किराया भत्ते" के सम्बन्ध में नैनीताल शहर को "ए" श्रेणी में सम्मिलित करने पर सरकार ने निर्णय कर लिया है ?

यदि हाँ, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न विचाराधीन है।

स्वशक्ति परियोजना के क्रियान्वित से लाभान्वित परिवार

5–श्री मदन कौशिक–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्वशक्ति परियोजना उत्तरांचल के कितने जनपदों में क्रियान्वित है ?

इन जनपदों में कितने परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

स्वशक्ति परियोजना (विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय कृषि कोष एवं भारत सरकार सहायतित) उत्तरांचल के तीन जनपदों (अल्मोड़ा, टिहरी, पिथौरागढ़) में जनवरी, 2002 से क्रियान्वित की जा रही है।

परियोजना के समूहों में 6720 महिलायें सदस्य हैं। प्रत्येक महिला अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करती है अतः परियोजना से 6720 परिवारों को लाभ पहुंचेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थायी एवं अस्थायी वीडियो सिनेमा को मनोरंजन कर में छूट का प्रकरण

6–श्री कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्थाई एवं अस्थाई वीडियो सिनेमा को मनोरंजन कर में छूट प्रदान किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो उन्हें कितने प्रतिशत छूट दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इसलिये कि वर्तमान में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के अनुरूप, कर की एकमुश्त दरें लागू हैं।

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन तथा उत्तरांचल जल विद्युत निगम में तैनात कर्मचारियों के आमेलन की स्थिति

7–श्री हरबंस कपूर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल पावर कारपोरेशन तथा उत्तरांचल जल विद्युत निगम में तैनात कर्मचारियों का आमेलन, उत्तरांचल में किये जाने पर शासन स्तर पर क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ?

यदि हाँ, तो उसकी स्थिति क्या है तथा आमेलन की कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन व उत्तरांचल जल विद्युत निगम के कार्मिकों के आवंटन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित निगमों व उत्तर प्रदेश सरकार से वार्ता हो गई है एवं उत्तर प्रदेश द्वारा कार्मिकों के विभाजन पर सैद्धान्तिक सहमति दे दी है। यह प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी कर दी जाएगी।

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन तथा उत्तरांचल जल विद्युत निगम में भविष्य निधि ट्रस्ट (न्यास) का गठन

8–श्री हरबंस कपूर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल पावर कारपोरेशन तथा उत्तरांचल जल विद्युत निगम में भविष्य निधि ट्रस्ट (न्यास) का गठन कर लिया गया है ?

यदि हाँ, तो अप्रैल, 2002 से इस ट्रस्ट में जी0पी0एफ0 तथा पेंशन एवं ग्रेच्युटी जमा कराने की कार्यवाही की जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में उत्तरांचल पावर कारपोरेशन व उत्तरांचल जल विद्युत निगम में कार्यरत कार्मिक उ0प्र0 के सम्बन्धित निगमों से प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं और उनके सम्बन्ध में इस विषय पर उ0प्र0 के ट्रस्ट के अनुसार ही कार्यवाही हो रही है। इन निगमों के कार्मिकों का विभाजन, उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल के बीच शीघ्र हो जायेगा।

जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत थानों में अदालत के आदेशों पर से अंकित प्राथमिक रिपोर्ट

9—काजी निजामुद्दीन—

क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि जनपद हरिद्वार में दिनांक 01—03—2002 से दिनांक 31—03—2002 तक क्रमशः किस—किस थाने में कितनी—कितनी प्राथमिक रिपोर्ट अदालत के आदेश पर लिखी गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जनपद हरिद्वार में दिनांक 01—03—2002 से दिनांक 31—03—2002 तक थानावार निम्न संख्या में प्राथमिकी, न्यायालय के आदेश पर, अंकित की गई:—

1. कोतवाली नगर	—	4
2. रानीपुर	—	2
3. कनखल	—	3
4. कोतवाली रुड़की	—	2
5. गंगनहर	—	4
6. भगवानपुर	—	1
7. मंगलौर	—	2
8. लक्सर	—	1
9. पथरी	—	2
	योग	21

मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्यों के सरकारी दौरों पर व्यय धनराशि

10—चौ0 यशवीर सिंह—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 01—03—2002 से दिनांक 31—07—2002 तक मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्यों के सरकारी दौरों पर कुल कितना सरकारी रुपया खर्च किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दिनांक 01—03—2002 से दिनांक 31—07—2002 तक मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्यों के सरकारी दौरों पर कुल रु0 31,72,458.00 (रुपया इकतीस लाख बहत्तर हजार चार सौ अट्ठावन मात्र) का व्यय हुआ है।

मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण पर व्यय

11—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण

पुनारम्भ कार्यक्रम पर दिनांक 17–07–02 व 18–07–02 को कुल कितना व्यय किया गया ?

श्रीमती अमृता रावत–

उत्तरांचल जल विद्युत निगम द्वारा मनेरी–भाली परियोजना द्वितीय चरण के पुन: आरम्भ कार्यक्रम पर कुल 3,30,878/– रु0 खर्च हुए।

जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम त्यूखर इत्यादि गाँवों लस्या तथा उछोला, पूर्वी बाँगर में विद्युतीकरण की स्थिति

12–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली के ग्राम त्यूखर, लस्या तथा उछोला पूर्वी बांगर में विद्युतीकरण का कार्य कब शुरू हुआ था ?

आज की तिथि में उक्त विद्युतीकरण की क्या स्थिति है ?

श्रीमती अमृता रावत–

यह कार्य वर्ष 1992 में प्रारम्भ किया गया था।

वर्तमान में एच0टी0/एल0टी0 लाइन क्षतिग्रस्त है। जिसकी मरम्मत का कार्य मार्च, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में राजकीय महाविद्यालय हेतु भूमि आवंटन

13–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालय हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गयी है ?

यदि हाँ, तो किस स्थान पर ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नवस्थापित महाविद्यालयों में पदों के सृजन के सम्बन्ध में नीति विषयक निर्णय शासन के विचाराधीन हैं जिस पर निर्णय होने के उपरान्त इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने हेतु लगी रोक

14—श्री हरबंस कपूर—

क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड में परिवर्तन करने हेतु शासन द्वारा कोई रोक लगाई गई है ?

यदि हाँ, तो यह रोक कब और किस शासनादेश द्वारा लगाई गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नजूल नीति की समय सीमा उत्तरांचल राज्य गठन के पश्चात बढ़ाई गई थी, जो उत्तरांचल राज्य में नहीं बढ़ाई गई, फलस्वरूप राज्य में फ्रीहोल्ड की कार्यवाही बन्द है। राज्य की नजूल नीति के निर्धारण का प्रकरण अपने अन्तिम चरण में है।

पन्तनगर गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में महाविद्यालय की स्थापना की माँग

15—श्री प्रेमानन्द महाजन—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पन्तनगर-गदरपुर विधान सभा क्षेत्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों की बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिगत क्षेत्र में एक महाविद्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उल्लिखित विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में नेपाल से लगी सीमा द्वारा हो रही अवैध घुसपैठ को रोकने की योजना

16—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नेपाल से लगी सीमा पर काली नदी में तार बिछाकर तार के सहारे अवैध रूप से लोगों का आना-जाना है ?

क्या सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई योजना बनाई है ? यदि हाँ, तो योजना क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यदा-कदा लम्बे रास्ते को छोड़कर, नागरिकों द्वारा तार बांधकर आवागमन किया जाता है। दोनों देशों के मध्य सामान्य आवागमन पर प्रतिबन्ध नहीं है।

राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त तत्वों की चैकिंग एवं रोकथाम हेतु राज्य के पुलिस विभाग, अग्नि सूचना विभाग, राजस्व पुलिस विभाग तथा केन्द्रीय विभागों यथा-एस0एस0बी0, आसूचना एवं कस्टम द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी में स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में बी0एड0/एल0एल0बी0/पत्रकारिता पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की योजना

17—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के एक मात्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बी0एड0/एल0एल0बी0/पत्रकारिता के पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0एड0, एल0एल0बी0 तथा पत्रकारिता पाठ्यक्रम संचालित किये जाने का सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दन्या अल्मोड़ा क्षेत्र में महाविद्यालय स्थापना की माँग

18—श्री प्रकाश पंत—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दन्या (अल्मोड़ा) क्षेत्र की जनता लम्बे समय से महाविद्यालय की स्थापना के लिए मांग कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या इस वित्तीय वर्ष में महाविद्यालय खोले जाने की कार्यवाही सरकार करने जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

दन्या नामक स्थान पर महाविद्यालय की स्थापना हेतु क्लीयरेंस प्रदान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में स्थित राजकीय स्नातक महाविद्यालय हेतु भवन निर्माण की जानकारी

19—श्री अनिल नौटियाल—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद चमोली में राजकीय स्नातक महाविद्यालय हेतु भवन निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो सरकार जनहित में भवन निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

राजकीय महाविद्यालय, कर्णप्रयाग (चमोली) का भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। राजकीय महाविद्यालय, तलवाड़ी—थराली (चमोली) के भवन निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त आगणन परीक्षणाधीन है। राजकीय महाविद्यालय, जोशीमठ में भूमि हस्तान्तरण के उपरान्त भवन निर्माण के सम्बन्ध में यथा आवश्यक निर्णय लिया जायेगा इसके अतिरिक्त गत वर्ष नव स्थापित राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण के सम्बन्ध में यथा समय यथा आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

चमोली जनपद के नगर गौचर में हवाई पट्टी हेतु अधिग्रहीत की गई जमीनों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने पर विचार

20—श्री अनिल नौटियाल—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि चमोली जनपद के नगर गौचर में हवाई पट्टी में जिन काश्तकारों की भूमि हवाई पट्टी निर्माण के लिये अधिग्रहीत की गयी थी, उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति देने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद चमोली, पौड़ी एवं अल्मोड़ा के केन्द्र बिन्दु नागचुलाखाल व आस—पास के क्षेत्र में विद्युतीकरण की मांग

21—श्री अनिल नौटियाल—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद चमोली, पौड़ी एवं अल्मोड़ा के केन्द्र

बिन्दु नागचुलाखाल एवं उसके आस-पास के क्षेत्र का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हो पाया है?

क्या शासन स्तर पर इस क्षेत्र के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक प्रस्ताव स्वीकृत होकर कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी-

जी हाँ, अभी कतिपय गांवों का विद्युतीकरण नहीं हो पाया है।

जी हाँ।

वर्ष 2007 के अन्त तक विद्युत विहीन गांवों का विद्युतीकरण होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस बल में भर्ती हेतु शारीरिक मापदण्ड की जानकारी

22-श्री मदन कौशिक-

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के सभी जनपदों में पुलिस बल में भर्ती हेतु शारीरिक मापदंड समान हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी-

जी नहीं।

पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों को सीने की माप में 2.5 सेमी० तथा लम्बाई में 5.1 सेमी० की छूट दी जाती है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सीने की माप में 2.5 सेमी० तथा लम्बाई में 7.7 सेमी० की छूट दी जाती है।

विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर यह छूट अविभाजित उ०प्र० के समय से ही लागू है।

जनपद पिथौरागढ़ के गाँवों में खराब ट्रान्सफार्मरों को ठीक कराया जाना

23-श्री प्रकाश पन्त-

क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में कितने गाँवों के ट्रांसफार्मर वर्तमान में खराब हैं ?

क्या सरकार इन ट्रांसफार्मरों को ठीक कराने पर विचार कर रही है ?

हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

वर्तमान में चार गांवों के ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हैं।

जी हाँ।

सम्बन्धित क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को माह दिसम्बर, 2002 में बदल दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत धारी, डुंगरा इत्यादि गाँव की क्षतिग्रस्त विद्युत व्यवस्था

24–श्री प्रकाश पन्त–

क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड विण की ग्राम सभा धारी, डुंगराबारते इत्यादि गाँवों की विद्युत व्यवस्था क्षतिग्रस्त है ?

यदि हाँ, तो विद्युत व्यवस्था कब तक सुचारू रूप से प्रारम्भ हो जायेगी ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

उत्तरकाशी में पुलिस कर्मचारियों हेतु आवासीय व्यवस्था

25–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या गृहमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में पुलिस कर्मचारियों के लिये आवासीय व्यवस्था उपलब्ध है ?

यदि नहीं, तो कब तक आवासीय व्यवस्था करवा दी जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद उत्तरकाशी में पुलिस कर्मियों हेतु मात्र टाइप प्रथम के 37, लोअर सबोर्डिनेट के 03 एवं अपर सबोर्डिनेट का 01 आवासीय भवन उपलब्ध है।

उत्तरकाशी में पुलिस कर्मियों हेतु आंकलित आवासीय आवश्यकता के सापेक्ष आवासों की कमी को दूर करने हेतु आवासों के निर्माण की योजना है।

राजधानी क्षेत्रों में नियमित विद्युत आपूर्ति किये जाने विषयक

26–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि राज्य की राजधानी देहरादून के राजीवनगर, शास्त्रीनगर तथा सारथी विहार आदि क्षेत्रों में विगत 7–8 महीनों से लगातार कई घंटे तक बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो रही है ?

यदि हाँ, तो उक्त क्षेत्र में नियमित विद्युत आपूर्ति न होने के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में शीघ्र नियमित विद्युत आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेगी ?

इस अनियमित आपूर्ति के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

आराघर 33/11 के0वी0 सब स्टेशन से बालावाला 11 के0वी0 फीडर द्वारा पूर्व में आपूर्ति की जाती थी, परन्तु वर्तमान विधान सभा भवन को विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से बनाये रखने में इस फीडर को 'विधान सभा' फीडर बनाया गया एवं इन कालोनियों को रायपुर 11 के0वी0 फीडर, जो कि लगभग 60 कि0मी0 लम्बा है से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की गई जिस कारण आपूर्ति में व्यवधान रहता है। इसके अतिरिक्त 33/11 के0वी0 रायपुर सब स्टेशन हेतु 33 के0वी0 लाइन के निर्माण एवं जोगीवाला–नत्थनपुर पुलिया/सड़क के विस्तारीकरण निर्माण के लिए समय–समय पर शटडाउन लेने के कारण भी विद्युत आपूर्ति में व्यवधान रहा है।

जी हाँ।

जी नहीं, क्योंकि इस हेतु कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्रों हेतु लघु विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की योजना

27–श्री मातचन्द्र–

क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए कितनी लघु विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की योजना प्रस्तावित हैं ?

इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा ?

श्रीमती अमृता रावत–

बीस लघु जल विद्युत परियोजनायें उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 के माध्यम से, 19 लघु जल विद्युत परियोजनायें उरेडा के माध्यम से तथा 79 परियोजनायें निजी क्षेत्र के माध्यम से विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 द्वारा निर्माण की जाने वाली परियोजनाओं में से एक परियोजना (सोनप्रयाग–500 कि0वाट) का निर्माण पूर्ण हो चुका है, आठ परियोजनायें निर्माणाधीन हैं तथा शेष 11 परियोजनाओं हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर भारत सरकार के अपारम्परिक ऊर्जा श्रोत विभाग से केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

उरेडा द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं में 11 निर्माणाधीन हैं तथा शेष 8 में भारत सरकार से स्वीकृति/वनावंटन पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। निजी क्षेत्र में 5 मेगावाट तक की 79 परियोजनाओं में से एक परियोजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा एक परियोजना निर्माणधीन है, 30 परियोजनाओं पर अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। शेष 47 अन्य लघु जल विद्युत परियोजनाओं को नई जल विद्युत नीति के अधीन निविदा पर आवंटित किया जायेगा।

खानपुर तथा लक्सर विकास खण्डों (हरिद्वार) के ग्रामों को ऊर्जीकृत करने की योजना

28—श्री कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि खानपुर तथा लक्सर विकास खण्डों (जिला हरिद्वार) के कितने और कौन से ग्रामों को ऊर्जीकृत करने की योजना शासन स्तर पर प्रस्तावित है और कितनी धनराशि उक्त कार्य हेतु उपलब्ध कराई जायेगी ?

श्रीमती अमृता रावत—

वर्ष 2003—04 में जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड लक्सर में 2 तथा विकास खण्ड खानपुर में 17 गाँवों का विद्युतीकरण शेष है जिनका विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है जिस पर लगभग 83.84 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है। इन गाँवों का विवरण इस प्रकार है—

विकास खण्ड लक्सर

1—माधारी अकबरपुर (वर्ष 2002—03 में विद्युतीकरण प्रस्तावित)

2—बुडडा खेडा गोमला।

विकास खण्ड खानपुर

1—धनवीर हेडी (वर्ष 2002—03 में प्रस्तावित)		10—पौडीवाली
2—मदारपुर	तदैव	11—मुगवावाली
3—मन्सूरपुर उर्फ कपूरो	तदैव	12—गैदावाली
4—दयालपुर	तदैव	13—कलसिया
5—शेरपुर बेला	तदैव	14—चांदपुर खादर
6—महीवापुर		15—डालावाला
7—असगरपुर		16—जैगावाला
8—शाहपुर		17—लालपुर
9—आलमपुर		

उक्त गाँवों में से वर्ष 2002—03 में विद्युतीकृत किये जाने वाले गाँवों में लगभग रु0 27.00 लाख व्यय अनुमानित है।

जनपद उत्तरकाशी के गाँवों में मार्च, 2002 से क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों को बदलने और विद्युत सप्लाई बहाल किये जाने विषयक

29—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में मार्च, 2002 के बाद कुल कितने विद्युत ट्रान्सफार्मर खराब होने से कितने गाँवों में विद्युत सप्लाई बन्द पड़ी हुई है ?

कब तक उक्त गाँवों की विद्युत सप्लाई बहाल कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत—

जनपद उत्तरकाशी में मार्च, 02 से 30—11—02 तक कुल 84 ट्रान्सफार्मर क्षतिग्रस्त हुये हैं जिनके कारण 84 ग्रामों की विद्युत सप्लाई बन्द हुई थी।

दिनांक 30—11—02 तक 65 क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर बदल कर 65 ग्रामों की विद्युत आपूर्ति बहाल की जा चुकी है। शेष क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों को बदलने हेतु ट्रान्सफार्मरों की व्यवस्था कर ली गई है और जनवरी, 2003 तक यह कार्य सम्पन्न हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग के स्व0 श्री बुद्धि सिंह राणा की पत्नी एवं पुत्री को बहादुरी के लिए सम्मानित किये जाने विषयक

30—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्व0 श्री बुद्धिसिंह राणा ने मिनी सहकारी बैंक तिमली चौरिया भरदार रुद्रप्रयाग को डकैतों/लुटेरों से बचाते हुये अपनी जान गंवायी थी ? यदि हाँ, तो कब ?

क्या यह भी सत्य है कि स्व0 राणा की धर्मपत्नी एवं पुत्री ने भी डकैतों एवं लुटेरों से संघर्ष करते हुये बैंक को लुटने से बचाया था ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार स्व0 श्री बुद्धिसिंह राणा के मरणोपरान्त उनकी पत्नी एवं पुत्री को बहादुरी के लिये सम्मानित करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्री बुद्धिसिंह राणा की मृत्यु मिनी सहकारी बैंक को डकैतों/लुटेरों से बचाने में नहीं, वरन् उनके आवासीय परिसर में आये बदमाशों द्वारा पहुंचायी गयी चोट के कारण हुई।

स्व0 राणा की धर्मपत्नी एवं पुत्री, उनके आवासीय परिसर में आये बदमाशों के साथ हुये संघर्ष में घायल हुई थीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को प्रोन्नति के दिन से वरिष्ठता दिये जाने हेतु

31–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या मुख्यमंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि भारत सरकार के शासनादेश मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एवं ग्रीवेन्स एण्ड ट्रेनिंग सं0 20011/1/2001 की ई0एस0टी0+(डी), दिनांक 21–1–2002 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को प्रोन्नति के दिन से वरिष्ठता दिये जाने हेतु आदेश जारी किये गये हैं ?

यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार उक्त शासनादेश को लागू करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

यह प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डोईवाला शुगर मिल की एक सत्र में कुल गन्ने की मांग एवं किसानों के बकाया भुगतान की स्थिति

32–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि डोईवाला शुगर मिल को एक सत्र के लिए पेराई हेतु कुल कितना गन्ना आवश्यक होता है ?

विगत 4–5 वर्षों में क्रम–वार कितना गन्ना प्रति पेराई सत्र में उपलब्ध हो रहा है ?

क्या पेराई हेतु गन्ना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त मिल को आपूर्ति करने वाले गन्ना किसानों को बकाया गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है ?

यदि नहीं, तो कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

160 कार्य दिवसों के अनुसार डोईवाला चीनी मिल को पेराई सत्र हेतु गन्ना की मांग 40 लाख कुन्तल होती है।

विगत 5 वर्षों का क्रमवार गन्ना पेराई निम्न प्रकार है:-

सत्र	पेराई (लाख कुन्तल)
1997—98	30.31
1998—99	33.48
1999—2000	33.30
2000—2001	32.32
2001—2002	29.13

डोईवाला चीनी मिल के, वर्तमान में, सुरक्षित क्षेत्र में गन्ने की कमी है।

डोईवाला चीनी मिल पर सत्र 2001–2002 का कुल रुपये 2677.39 लाख गन्ना मूल्य देय था, जिसके सापेक्ष दिनांक 15–11–2002 तक रुपये 2382.39 लाख का भुगतान किया जा चुका है, जो कुल गन्ना मूल्य का 88.99 प्रतिशत है।

अवशेष गन्ना मूल्य शीघ्र भुगतान हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

राजकीय स्नातक महाविद्यालय बेरीनाग पिथौरागढ़ के छात्रों की मांगों पर कार्यवाही

33—श्री नारायण राम आर्य—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय स्नातक महाविद्यालय, बेरीनाग पिथौरागढ़ के छात्र अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे थे ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हाँ।

छात्रों की तर्क संगत मांगों को पूरा करने के लिए शासन की तरफ से आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के नैनीसैनी में हवाई पट्टी से व्यवसायिक उड़ानें प्रारम्भ न होने के कारण

34—श्री प्रकाश पन्त—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में नैनीसैनी में हवाई पट्टी निर्माण के पश्चात व्यवसायिक उड़ाने प्रारम्भ न हो पाने के क्या कारण हैं ?

क्या इस वर्ष नियमित उड़ान प्रारम्भ हो जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

विभिन्न वायु सेवा संचालन संगठनों को व्यवसायिक विमान सेवायें प्रारम्भ करने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु उनकी ओर से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

जी नहीं।

विभिन्न वायुयान सेवा संचालन संगठनों को पुनः प्रस्ताव प्रेषित कर व्यवसायिक सेवायें प्रारम्भ करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

पिथौरागढ़ के राई आगर में विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने का प्रस्ताव

35–श्री नारायण राम आर्य–

क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के राई आगर में विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक विद्युत सब स्टेशन बन जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

दिसम्बर, 2003 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपदों में समिति आदि की बैठकों की अध्यक्षता वरिष्ठ विधायक या मा0 सांसदों से कराने पर विचार

36–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपदों में डी0आर0डी0ए0, सिंचाई बंधुओं, उद्योग बंधुओं, सड़क और यातायात, शिक्षा समिति आदि की बैठक की अध्यक्षता, जनपद का वरिष्ठ विधायक या सांसद से कराने पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक यह व्यवस्था लागू होगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

डी0आर0डी0ए0 तथा सिंचाई बन्धु की अध्यक्षता पर जिला पंचायत अध्यक्ष, नामित है। सड़कों के समन्वित विकास हेतु जिला स्तरीय सड़क एवं परिवहन समन्वय समिति की अध्यक्षता जिलाधिकारी द्वारा की जाती है। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अभी शासन स्तर पर कोई समिति विचाराधीन नहीं है।

जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली के 33 के0वी0 सब स्टेशन निर्माण का कार्य

37—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड जखोली जनपद रुद्रप्रयाग के 33 के0वी0 सब स्टेशन का कार्य कब शुरू हुआ था ? इसका निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्रीमती अमृता रावत—

33 के0वी0 जखोली सब स्टेशन का निर्माण कार्य माह 8/2002 से प्रारम्भ हुआ था, जो कि मार्च, 2003 तक पूरा हो जायेगा।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में एम0ए0 स्तर पर गृह विज्ञान तथा एम0एड0 आदि प्रारम्भ करने पर विचार

38—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर जनपद चमोली में एम0ए0 स्तर पर गृह विज्ञान तथा एम0एड0 आदि विषय प्रारम्भ करने पर विचार किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

महाविद्यालय में एम0ए0 स्तर पर गृह विज्ञान तथा एम0एड0 आदि विषय प्रारम्भ करने सम्बन्धी सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी (कुण्ड) में बन्द पड़े पावर हाउस को पुनः चालू किये जाने विषयक

39—श्रीमती आशा नौटियाल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत गुप्तकाशी (कुण्ड) में बन्द पड़े पावर हाउस को पुनः चालू किये जाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त पावर हाउस चालू कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

जून, 2003 तक।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तरांचल के डिग्री कालेजों में रिक्त प्रवक्ता पदों पर नियुक्तियाँ किये जाने की कार्यवाही

40–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के डिग्री कालेजों में विभिन्न विषयों के रिक्त चल रहे प्रवक्ता पदों पर नियुक्तियाँ किये जाने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

रिक्त पदों के विरुद्ध अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजे जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

हिमालयन मेडिकल इन्स्टीट्यूट, जौलीग्रान्ट देहरादून को संचालित करने हेतु ट्रस्ट का गठन

41–श्री जोतसिंह गुनसोला–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हिमालयन मेडिकल इन्स्टीट्यूट, जौलीग्रान्ट (देहरादून) को संचालित करने हेतु कोई ट्रस्ट गठित है ?

यदि हाँ, तो इस ट्रस्ट का स्वरूप क्या है ?

क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इस संस्था में छात्रों के प्रवेश के क्या मानक हैं तथा छात्रों से कौन–कौन से शुल्क प्रवेश के समय लिए जाते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

हिमालयन मेडिकल इन्स्टीट्यूट, जौलीग्रान्ट का संचालन हिमालयन इन्स्टीट्यूट हास्पिटल ट्रस्ट, जो कि सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है, द्वारा किया जा रहा है।

संस्था का संचालन गवर्निंग बॉडी द्वारा किया जा रहा है जिसके 16 सदस्य हैं।

संस्था की कुल 100 सीटों में से 85 सीटों पर प्रवेश राज्य स्तर की यू0पी0एम0टी0 परीक्षा के माध्यम से होता है, जबकि शेष 15 सीटें, जो कि एन0आर0आई0 कोटे की हैं, पर प्रवेश संस्थान की चयन समिति अपने स्तर से करती है।

छात्रों से प्रवेश के समय ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, प्रवेश शुल्क, मैस एकाउन्ट, परीक्षा शुल्क, पुस्तकालय एवं स्पोर्ट्स शुल्क, मैग्जीन एकाउन्ट शुल्क लिये जाते हैं।

वर्ष 2001 में आयोजित यू0पी0एम0टी0 द्वितीय काउन्सिलिंग की सूचना छात्रों को देने का माध्यम

42–डा0 नारायण सिंह जंतवाल–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2001 में आयोजित यू0पी0एम0टी0 में द्वितीय काउन्सिलिंग की सूचना छात्रों को किन माध्यमों से दी गई ?

क्या यह सही है कि द्वितीय काउन्सिलिंग की सूचना समाचार–पत्रों के माध्यम से न देकर गुपचुप तरीके से काउन्सिलिंग कर दी गई ?

यदि हाँ, तो ऐसा करने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वर्ष 2001 में आयोजित यू0पी0एम0टी0 के द्वितीय काउन्सिलिंग की सूचना छात्रों को "अमर उजाला" दैनिक समाचार–पत्र के दिनांक 23–01–2002 में विज्ञप्ति प्रकाशित करके दी गयी थी।

जी नहीं।

जी नहीं।

क्योंकि प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम कूचा तथा मल्ली सीम विकास खण्ड विण, पिथौरागढ़ में विद्युत व्यवस्था का संचालन

43–श्री प्रकाश पन्त–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम कूचा तथा ग्राम मल्ली सीम विकास खण्ड विण, पिथौरागढ़ में विद्युत व्यवस्था संचालित हो रही है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इन गांवों में विद्युत व्यवस्था कब तक सुचारू हो पायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ। इन ग्रामों में विद्युत आपूर्ति ग्राम तल्ली सीम से स्थापित 11/0.4 के0वी0 उपसंस्थान से संचालित की जा रही है, (परन्तु ग्राम तल्ली सीम के ग्रामीणों द्वारा ग्राम कूचा तथा मल्ली सीम की विद्युत आपूर्ति प्रायः बन्द कर दी जाती है)।

इस समस्या के निदान के लिए एक नया 11/0.4 के0वी0 उपसंस्थान का निर्माण ग्राम मल्ली सीम में किया जा रहा है जिसे मार्च, 2003 तक चालू करने का लक्ष्य है।

उत्तरांचल में कार्यरत आई0ए0एस0 संवर्ग के अधिकारियों के स्वीकृत पदों की स्थिति

44—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कितने आई0ए0एस0 कार्यरत हैं ? कितने पद प्रमुख सचिवों तथा सचिवों के शासन द्वारा स्वीकृत हैं तथा कितने वर्तमान समय में कार्यरत हैं ?

क्या छोटे राज्य को देखते हुए प्रमुख सचिवों / सचिवों की संख्या राज्य के अनुरूप है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त पदों पर पदासीन अधिकारियों की संख्या सीमित करने पर विचार करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उत्तरांचल में वर्तमान में कुल 49 आई0ए0एस0 अधिकारी कार्यरत हैं। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 21—10—2000 को निर्धारित आई0ए0एस0 संवर्ग में प्रमुख सचिवों के 3 पद तथा सचिवों के 8 पद रखे गये हैं। वर्तमान में प्रमुख सचिव के पद पर 5 अधिकारी तथा सचिव के पद पर 13 अधिकारी कार्यरत हैं। यह संख्या कुल संवर्ग की अधिकृत संख्या के अन्तर्गत है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत सितारगंज सम्पूर्णानन्द शिविर कारागार क्षेत्र में कृषि से होने वाली वार्षिक आय

45—श्री नारायण पाल—

क्या मुख्यमंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत सितारगंज सम्पूर्णानन्द शिविर कारागार क्षेत्र, कितने एकड़ में स्थित है ?

इस कारागार क्षेत्र में कृषि से होने वाली वार्षिक आय क्या है तथा कितनी जमीन बंजर है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत सितारगंज सम्पूर्णानन्द शिविर कारागार क्षेत्र 3769 एकड़ भूमि पर स्थित है।

विगत वर्ष 2001—2002 में इस कारागार क्षेत्र में कृषि से रु0 10,01,849.04 की आय हुई है तथा क्षेत्र की 1704 एकड़ भूमि वर्तमान स्थिति में कृषि योग्य नहीं है।

राज्य गठन के बाद सरकार द्वारा नये उद्योगों की स्थापना

46—श्री नारायण पाल—

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य बनने के बाद राज्य सरकार द्वारा

कितने उद्योगों को बीमार घोषित किया गया है तथा जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से कितने नये उद्योग स्थापित किये गये हैं ?

राज्य मंत्री औद्योगिक विकास (श्री किशोर उपाध्याय)–

प्रथम दृष्टया 141 इकाईयों को रुग्ण चिन्हित किया गया है।

उत्तरांचल राज्य बनने के बाद से अब तक कुल 4405 नये उद्योग स्थापित किये गये हैं।

ऊर्जा निगम एवं जल विद्युत निगम में विद्युत अप्रेन्टिसों के समायोजन पर विचार

47–श्री बलवीर सिंह नेगी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि ऊर्जा निगम एवं जल विद्युत निगम में कितने पद तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के वर्तमान में रिक्त हैं ?

क्या रिक्त पदों पर बेरोजगार विद्युत अप्रेन्टिसों का समायोजन करने पर सरकार विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

उत्तरांचल जल विद्युत निगम में तृतीय श्रेणी में 512 पद रिक्त हैं जबकि चतुर्थ श्रेणी में 59 कार्मिक अधिक कार्यरत हैं। उत्तरांचल पावर कारपोरेशन में तृतीय श्रेणी में 375 पद रिक्त हैं जबकि चतुर्थ श्रेणी में 192 पद प्रोन्नति के फलस्वरूप रिक्त होने की सम्भावना है।

वर्तमान रिक्त पदों पर चयन/भर्ती की कार्यवाही प्रगति में है, जिसमें विद्युत अप्रेन्टिसों को भी अवसर प्राप्त है।

रिक्त पदों के सापेक्ष नियमानुसार प्रोन्नति के उपरान्त रिक्त होने वाले पदों पर चयन की कार्यवाही यथा समय की जायेगी।

प्रदेश के नियोजन में पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र के लिए योजनाएं

48–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के नियोजन में पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र का ध्यान रखा गया है ?

यदि हाँ, तो पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्र के लिए कौन–कौन सी योजनाएं बनायी गयी हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

राज्य में संचालित की जा रही योजनायें मुख्यतः चार प्रकार की हैं: (1) जिला योजना (2) राज्य सेक्टर की योजनायें (3) केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें (4) बाह्य सहायतित परियोजनायें।

जिला योजनायें मा0 प्रभारी मंत्रियों की अध्यक्षता में गठित जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित योजनायें होती हैं जो कि भौगोलिक स्थिति के अनुरूप ही गठित की जाती है।

राज्य सैक्टर एवं केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं की संरचना राज्य के समग्र, वृहत्तर एवं दीर्घकालीन क्षमता सृजन के परिप्रेक्ष्य में की जाती है जिसे भौगोलिक, जनसंख्या तथा क्षेत्र की विशिष्टताओं आदि के पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया जाता है।

बाह्य सहायतित परियोजनाओं को प्रोजेक्ट के रूप में क्षेत्र/कार्यक्रम विशेष के आधार पर संचालित की जा रही है।

भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों में निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं:

(1) बार्डर एरिया डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम (बी0ए0डी0पी0) (2) अनुसूचित जनजाति कल्याण (3) चाय विकास योजना (4) जड़ी-बूटी विकास योजना (5) ऊर्जा विकास (6) जलागम प्रबन्ध/भूमि संरक्षण (7) पर्यटन (8) नागरिक उड्डयन।

आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के सृजन एवं निर्माण कार्य हेतु पर्वतीय क्षेत्र के लिए मानक अलग से निर्धारित है। मैदानी क्षेत्र के परिवेश के अनुरूप मैदानी क्षेत्र के जनपदों में निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं:

(1) गन्ना विकास (2) सिचाई योजना (3) हैण्ड पम्प पेयजल योजना (4) कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने एवं तत्सम्बन्धी विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करने सम्बन्धी योजनायें (5) जनजाति (थारू/बुक्सा जनजाति) कल्याण योजना।

सामान्यतः राज्य को पर्वतीय व मैदानी भाग में विभाजित करके योजनायें तैयार नहीं की जाती हैं।

जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज सम्पूर्णानन्द शिविर में विकल्पधारी अधिकारी/कर्मचारी पुलिस कर्मियों तथा कैदियों को उ0प्र0 भेजने की नीति विषयक

49-श्री नारायण पाल-

क्या मुख्यमंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज सम्पूर्णानन्द शिविर में कितने अधिकारी/कर्मचारी/पुलिस कर्मी व कैदी हैं ?

कितने अधिकारियों/कर्मचारियों/पुलिस कर्मियों ने उत्तर प्रदेश का विकल्प भरा है ?

वह कब तक उ0प्र0 के लिये कार्यमुक्त हो जायेंगे तथा कैदियों को उ0प्र0 भेजने की क्या नीति है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी-

जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज सम्पूर्णानन्द शिविर में 177 अधिकारी/कर्मचारी तथा 260 बन्दी हैं।

137 अधिकारी/कर्मचारी उ0प्र0 के विकल्पधारी हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य से कार्मिकों/आस्तियों/दायित्वों के अन्तिम रूप से विभाजन के उपरान्त ही कार्यवाही सम्भव होगी।

जनपद टिहरी गढ़वाल के पौखाल नामक स्थान पर महाविद्यालय खोलने विषयक

50–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या मुख्यमंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के पौखाल नामक स्थान पर महाविद्यालय खोलने की सरकार की कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

राजकीय महाविद्यालय पौखाल टिहरी गढ़वाल को स्नातक स्तर पर कला संकाय में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के बालगंगा–धर्मगंगा लघु विद्युत पन बिजली योजना के उत्पादन लक्ष्य का निर्धारण

51–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी के बालगंगा–धर्मगंगा पर विचाराधीन लघु विद्युत पन बिजली योजना से कितना किलोवाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

उक्त योजना से घनसाली क्षेत्र के कितने गाँवों को विद्युत आपूर्ति की जायेगी ?

श्रीमती अमृता रावत–

जनपद टिहरी के बालगंगा व धर्मगंगा पर निम्नलिखित पाँच परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता उनके सम्मुख अंकित है:–

1. झालाकोटी (3 मेगावाट)
2. अनुनडाथाटी (3 मेगावाट)
3. कोट–बूढ़ाकेदार (3 मेगावाट)
4. बालगंगा प्रथम चरण (5 मेगावाट)
5. बालगंगा द्वितीय चरण (7 मेगावाट)

उक्त परियोजनाओं से ग्रीड फीडिंग होगी। अतः इनसे सीधे ग्रामों को विद्युत आपूर्ति प्रस्तावित नहीं है।

राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति आयु सीमा में दो वर्ष की वृद्धि नीति पर पुनर्विचार

52–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा निवृत्त होने के लिए आयु सीमा में दो वर्ष की वृद्धि किये जाने से बेरोजगारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नीति पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल के न्यायालयों में स्टाम्प पेपरों की कालाबाजारी को रोकने के उपाय

53–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल के कुछ जनपदों के न्यायालयों में स्टाम्प पेपर की कमी है ?

क्या यह सत्य है कि उत्तरांचल के कतिपय जनपदों में स्टाम्प पेपरों की कालाबाजारी हो रही है ?

यदि हाँ, तो सरकार इस कालाबाजारी को रोकने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तरांचल में न्यायालय सम्बन्धी स्टाम्प की कोई कमी नहीं है।

स्टाम्प पेपरों की कालाबाजारी होने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

तिलाड़ी कांड उत्तरकाशी के शहीदों को स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का दर्जा देने एवं शहीद स्व0 श्री दिला निवासी बाड़िया के आश्रित श्री लाखीराम की पेंशन विषयक

54–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या मुख्यमंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि तिलाड़ी कांड, तहसील बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी के शहीदों की कोई सूची सरकार द्वारा जारी की गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या तिलाड़ी कांड के शहीदों को स्वतंत्रता सेनानियों का दर्जा दिया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा तैयार की गयी सूची में से अभी भी कुछ शहीद आश्रितों को स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली सुविधायें उपलब्ध की जानी शेष हैं ?

क्या उक्त कांड के शहीद स्व0 दिला निवासी बाड़िया तहसील बड़कोट जनपद उत्तरकाशी के आश्रित श्री लाखीराम को पेंशन या अन्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

तिलाड़ी कांड के शहीदों की सूची सूचना विभाग उ0प्र0 द्वारा प्रकाशित "स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक" नामक पुस्तक द्वारा जारी की गयी।

उत्तर प्रदेश के समय से ही उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का दर्जा प्राप्त है।

सूची में अंकित जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को नियमानुसार सुविधा उपलब्ध की जा रही है।

जी नहीं।

श्री लाखीराम पारिवारिक पेंशन की परिधि में नहीं आते हैं।

राज्य सरकार द्वारा अपराध की घटनाओं पर नियंत्रण की व्यवस्था

55–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विगत छः माह में प्रदेश में कितनी घटनायें चोरी, डकैती, लूटपाट, बलात्कार एवं हत्याओं की हुई है ?

क्या सरकार अपराधों पर रोक लगाने के लिये कोई कार्य योजना बना रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

दिनांक 01–06–2002 से 30–11–2002 तक प्रदेश में चोरी, डकैती, लूटपाट, बलात्कार एवं हत्या की निम्न घटनाएं हुई हैं:–

चोरी	755
डकैती	12
लूटपाट	66
बलात्कार	41
हत्या	122

अपराध नियंत्रण हेतु दिन एवं रात्रि में गश्त की व्यवस्था, संवेदनशील स्थानों पर पुलिस पिकेट्स की नियुक्ति तथा चीता स्क्वाड एवं हाईवे पैट्रोल कार की व्यवस्था की गई है।

मंगलौर जनपद हरिद्वार में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित चौकी द्वारा राजस्व वसूलने विषयक

56–काजी निजामुद्दीन–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मंगलौर जनपद हरिद्वार के राष्ट्रीय राजमार्ग–58

पर स्थित व्यापार कर चौकी द्वारा 01 मार्च, 2001 से 31 अक्टूबर, 2002 तक क्रमशः कितना राजस्व वसूल किया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

व्यापार कर जाँच चौकी, मंगलौर जनपद हरिद्वार द्वारा दिनांक 1–3–01 से दिनांक 31–10–02 तक वसूल किये गये राजस्व (जमानत/अर्थदण्ड एवं समाधान राशि) का विवरण निम्नवत है:–

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	प्राप्त राजस्व (रु० में)
1.	2000–01 (माह मार्च, 2001)	25,960
2.	2001–02	19,97,581
3.	2002–03 (अप्रैल, 2002 से अक्टूबर, 2002 तक)	32,56,110
	योग :	52,79,651

पिथौरागढ़ की मैग्नासाइट एण्ड मिनरल्स फैक्ट्री, चण्डाक को पुनः संचालित करने की योजना

57–श्री प्रकाश पन्त–

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिथौरागढ़ की मैग्नेसाइट एण्ड मिनरल्स फैक्ट्री, चण्डाक वर्तमान में बन्द है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसे पुनः संचालित करने की योजना बना रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ। यह इकाई दिनांक 13–7–1998 से औद्योगिक सम्बन्धों के प्रतिकूल होने के कारण बन्द हो गयी है। तत्पश्चात इकाई रुग्ण होने के कारण बी०आई०एफ०आर० को संदर्भित कर दी गयी। इस इकाई के पुनर्जीवीकरण हेतु दिनांक 24–8–2000 को बी०आई०एफ०आर० में सुनवाई की गयी थी। इस इकाई का पुनर्वास बी०आई०एफ०आर० के आदेशों पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल पुलिस के कैडर का निर्धारण

58–श्री प्रकाश पन्त–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल पुलिस के कैडर का निर्धारण किया जा चुका है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो कब तक कैडर निर्धारण कर दिया जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल के मध्य कैडर विभाजन भारत सरकार के स्तर से अन्तिम आदेश पारित किये जाने के उपरान्त ही सम्भव है।

पिथौरागढ़ में चौनाला सीमेन्ट फैक्ट्री गंगोलीहाट की स्थापना विषयक

59–श्री प्रकाश पन्त–

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य निर्माण से पूर्व जनपद पिथौरागढ़ में चौनाला सीमेन्ट फैक्ट्री गंगोलीहाट में खोला जाना प्रस्तावित था ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त फैक्ट्री की स्थापना का विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

इकाई को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चूना पत्थर का खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया। उत्तरांचल सरकार को इकाई द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून में चेन छीनने की घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में

60–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून शहर में महिलाओं के गले से चेन छीनने की कितनी घटनायें अब तक हो चुकी हैं ?

सरकार द्वारा उक्त घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जनपद देहरादून में इस वर्ष दिनांक 28–11–2002 तक महिलाओं के गले से चेन छीनने की कुल 26 घटनायें घटित हुई हैं।

उक्त घटनाओं की रोकथाम के लिये प्रभावी गश्त की जा रही है तथा पुलिस पिकेट्स, चीता स्क्वाड एवं पैट्रोल कारें मोबाईल में रहती हैं। उक्त घटनाओं में से 09 अभियोगों का अनावरण कर, लूटी सोने की चेनें बरामद की गयी तथा प्रकाश में आये 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने विषयक

61—श्री तसलीम अहमद—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मार्च, 2002 से अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस के विकल्पधारी कितने कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जा चुका है तथा कितने कर्मचारी शेष हैं ?

शेष कर्मचारियों को कब तक कार्यमुक्त कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मार्च, 2002 से अब तक कुल 1068 उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी पुलिस कर्मियों को कार्यमुक्त किया जा चुका है तथा 5918 कर्मचारी शेष हैं।

उत्तरांचल व उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच पुलिस कर्मियों के कॉडर के अन्तिम विभाजन के पश्चात ही शेष कर्मियों को कार्यमुक्त करना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आँगनबाड़ी केन्द्रों में पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धि के कारण रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में

62—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों में पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने से पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार इन पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उत्तरांचल राज्य की वर्तमान में संचालित 54 बाल विकास परियोजनाओं में कुल 4243 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 3752 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां कार्यरत हैं। वर्तमान आरक्षण नीति के तहत 14 प्रतिशत अन्य पिछड़ी जाति के पद के आधार पर 594 पद बनते हैं। पिछड़ी जाति की वर्तमान में कुल 337 कार्यकर्तियां कार्यरत हैं। इस तरह 257 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों से और भरे जाने हैं।

रिक्त पड़े आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के समस्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ कर उन्हें भरने के प्रयास किये जा रहे हैं, अतः प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में तहसीलदारों की उप जिलाधिकारी पद पर पदोन्नति किये जाने पर विचार

63—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या मा0 मुख्यमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में तहसीलदारों की उप जिलाधिकारी पद पर पदोन्नति का कितने प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है ?

क्या सरकार तहसीलदारों की पदोन्नति किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

तहसीलदारों का उप जिलाधिकारी के पद पर पदोन्नति का कोटा 50 प्रतिशत निर्धारित है।

जी हाँ, तहसीलदार के पद से उप जिलाधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए अधियाचन उत्तरांचल लोक सेवा आयोग को भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

मार्शल विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12.30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(श्री अध्यक्ष के 12 बजकर 30 मिनट अपरान्ह पर पुनः पीठासीन होने पर)

*श्री रणजीत सिंह रावत—

माननीय अध्यक्ष जी मेरा अवमानना का प्रश्न है। कृपया पहले इसे सुन लें। (व्यवधान) दिनांक 13—12—2002 तथा 16—12—2002 को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया शान्त रहें।

*वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)—

मान्यवर, माननीय सदस्य की बात से ज्ञात हुआ कि माननीय सदस्य ने अवमानना का प्रश्न उठाया है। इसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए। (घोर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, आपने श्री प्रकाश पन्त जी को बोला है। (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री प्रदीप टम्टा–

मान्यवर, दिनांक 13–12–2002 तथा 16–12–2002 को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी कथित सूचना को लेकर निरन्तर प्रदर्शन किया जा रहा है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले हमारी बात सुनी जाये। (घोर व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमारी नोटिस श्री प्रकाश पंत जी पढ़ेंगे। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए। माननीय सदस्य ने सदन की अवमानना का प्रश्न उठाया है। इसे आप सुन लें। (व्यवधान)

राजधानी देहरादून में दिनांक 13–12–2002 को भाजपा प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल में विगत दिनों राजस्व विभाग के पटवारियों की भर्ती में किये गये घोटाले प्रमाणित हो चुके हैं। जिसमें सरकार के विभागीय मंत्री सहित अन्य मंत्री भी आरोपित किये गये हैं। प्रकरण में आरोपित मंत्रीगणों को बर्खास्त किये जाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजधानी देहरादून में 13–12–02 को पूर्व घोषित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। जिन पर पुलिस द्वारा सरकार के इशारे पर बर्बर लाठीचार्ज तथा पथराव किया गया। महिलाओं तथा पुरुषों के सिरों पर लाठियों से जान से मारने के इरादे से प्रहार किया गया। महिलाओं के साथ पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा अमर्यादित अपमानजनक व्यवहार तथा अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते हुए उनके मर्मस्थलों पर चोट पहुंचाई गयी। मा0 विधायकों श्री हरबंस कपूर तथा श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोका गया तथा उन्हें भी गम्भीर चोटें पहुंचाई गयी। श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, विधायक गम्भीर रूप से घायल अवस्था में सघन चिकित्सा से गुजर रहे हैं। इस घटना में 99 नागरिक विभिन्न चिकित्सालयों में घायल अवस्था में भर्ती किये गये हैं। सरकार की इस दमनात्मक कार्यवाही से सम्पूर्ण प्रदेश में आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर नियमों का निलम्बन कर सदन में चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह जो दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण घटित हुआ है, इससे यह स्पष्ट होता है कि यह प्रदेश की राजनीति के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। मान्यवर, पटवारी प्रकरण में यह प्रमाणित हो चुका है कि भ्रष्टाचार हुआ है तभी तो 3 अधिकारियों का निलम्बन हुआ है। मान्यवर, इसमें सम्पूर्ण विपक्ष ने यह मांग की थी कि नियमों को निलम्बित करते हुए नियम 311 में हमारी सूचनाएं सुनी जायें, लेकिन वह सुनी नहीं गयी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश कार्य संचालन नियमावली के अनुसार नियम 311 में सभी नियमों का निलम्बन करते हुए सूचनाएं सुनी जाती हैं। यही हमारी एक मात्र मांग थी। मान्यवर, इस घटना का जिक्र करना चाहूंगा जो विगत 13 दिसम्बर को प्रदेश की राजधानी में घटित हुआ है। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शान्तिपूर्ण आन्दोलन कर रहे थे परन्तु उन पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया। उस समय माननीय विधायकों को भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोका गया। मान्यवर, माननीय विधायक श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आ रहे थे परन्तु उन्हें रिस्पना पुल के समीप रोक दिया गया और उनको यह बताने पर कि वे विधानसभा जा रहे हैं, उन पुलिस कर्मियों का जवाब था कि वहीं जाने से रोकने के लिए ही तो हमारी ड्यूटी लगाई गई है। मान्यवर, करीब 250 पुलिस कर्मी पुल के पास खड़े थे और इन्होंने माननीय विधायक के साथ दुर्व्यवहार किया तथा उन्हें चोट भी पहुंचाई। जिस कारण आज भी वे सघन चिकित्सा के दौर से गुजर रहे हैं। मान्यवर, दूसरे माननीय विधायक श्री हरबंस कपूर जी जो कि इतने बुजुर्ग विधायक हैं, उन्हें भी रोका गया और उनके ऊपर पानी की बौछार छोड़ी गयी। वे उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। मान्यवर, अगर ऐसे ही लाठी–डन्डे चलते रहे तो एक दिन प्रदेश में माफियाराज कायम हो जायेगा। मान्यवर, इस नव निर्मित प्रदेश की नींव भ्रष्टाचार और लाठी–डन्डे के बल पर रखी जा रही है जो कि उचित नहीं होगा।

मान्यवर, माननीय कपूर जी दो–दो बार मंत्री रह चुके हैं, उनके साथ इस प्रकार का अमर्यादित आचरण किया गया। यह बहुत ही अशोभनीय और निन्दनीय है। आप हमारे संरक्षक हैं, हम आप ही से विनती कर सकते हैं। अगर हमारी बातों को सदन के अन्दर इस प्रकार से दबा दिया जाएगा तो राज्य में ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाएगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस विषय पर गम्भीर चर्चा हो और सरकार के तीन भ्रष्ट मंत्रियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए तभी सदन के मूल्यों का संरक्षण हो सकता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रकाश पन्त जी ने अपनी बात रखी, चूंकि यह विषय नियम 311 के अन्तर्गत नहीं आता, इसलिए इसे अस्वीकार करता हूं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

*नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम 311 के अन्तर्गत इस विषय को सुनने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यहाँ की स्थिति बहुत बदतर हो रही है। अभी एक माननीय मंत्री जी किसी माननीय सदस्य पर झपट पड़े, यह संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं है। आखिर हमें प्रदेश चलाना है। ऐसा नहीं है कि सत्ता किसी के नाम पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिख दी गयी हो, आज जो सत्ता में हैं, हो सकता है कल उन्हें विपक्ष में आना पड़े। इसलिए यहाँ पर ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं होने देनी चाहिए। मान्यवर, आपने इस विषय को सुनने का समय दिया, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस सूचना पर जितने भी माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, कृपया सबको 2-2 मिनट बोलने का अवसर प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष–

अजय भट्ट जी आप अपनी बात रखें।

(बहुत से माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, आपने अजय भट्ट जी का नाम पुकारा है, फिर भी माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। आप कार्यवाही से इसकी पुष्टि करा लें। माननीय पंत जी ने अभी अपने भाषण में कहा कि "अगर ऐसे ही चलता रहा तो, यहां पर [* * *] स्थापित हो जाएगा।" यह बहुत आपत्तिजनक है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूँ कि मैंने [* * *] नहीं माफिया राज कहा था।

श्री अध्यक्ष–

यदि ऐसा शब्द आया है तो उसे कार्यवाही से हटा दिया जाएगा।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे 311 के ऊपर ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, प्रदेश में क्या हो रहा है यह सब जानते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको सत्ता चलानी होती है और प्रजातंत्र के अन्तर्गत जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनको अपनी बात कहने का मौका मिले ताकि सत्ता ठीक चले। जहाँ-जहाँ प्रजातंत्र है वह ठीक चले, इसलिए पक्ष और विपक्ष होता है। अगर डरा-धमका कर किसी का मुंह बन्द करा दिया जाता तब तो यहां बैठने की आवश्यकता नहीं होती और न हम विपक्ष में होते, इसलिए हमको 311 लाना पड़ा है। पटवारी प्रकरण जो श्री प्रकाश पंत जी ने पढ़ा वह छोटा-मोटा मामला नहीं है यह बहुत गम्भीर मामला है, यह उत्तरांचल के लिए शुभ संकेत नहीं है। यह राज्य इसलिए नहीं बना कि हम सेलेक्शन कमेटी में अपने घर का या किसी रिश्तेदार को रख लें, बल्कि इसे हमें निष्पक्ष तरीके से सोचना होगा। मान्यवर, एक बात साबित हो चुकी है कि एक आई0ए0एस0 अधिकारी जिलाधिकारी पौड़ी को सस्पेन्ड कर दिया गया, अगर कोई मामला था ही नहीं तो सस्पेन्ड

[* * *] यह अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

क्यों किया गया, यह कहा गया कि प्रक्रिया गलत अपनायी गई, इसलिए सस्पेन्ड किया गया। जो कमिश्नर की रिपोर्ट आयी है उसे प्रदेश की जनता जानना चाहती है। जिलाधिकारी की कैसे हिम्मत हुई कि उसने प्रक्रिया गलत अपनायी। इसमें तो आपने जिलाधिकारी को सस्पेन्ड कर दिया है। उस जांच रिपोर्ट में यह सुनने को आया कि जो कापी जांचने वाले लोग हैं उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में गड़बड़ी की है, उसमें यह भी है कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर पैसे का लेनदेन हुआ है। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि पैसा किसने वसूल किया और किसे दिया। मैं जब तक उसे पढ़ न लूँ तब तक किसी को भ्रष्ट कहना गलत बात है। कमिश्नर ने जो रिपोर्ट दी है उसका खुलासा इस सदन में हो। इतना ही नहीं हम 13 तारीख को इस मामले को उठा रहे थे, बाहर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वह जब आ रहे थे तो उन्हें मारा पीटा गया। मनोहर कान्त ध्यानी जी जो संसद सदस्य रह चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर 307 के मामले चला दिये। प्रदेश के जिलाध्यक्षों के ऊपर मुकदमें पूर्व मंत्री रमेश पोखरियाल एवं हरबंस कपूर तथा विधायकों पर मुकदमें चला दिये, यहाँ तक कि श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जो गम्भीर रूप से घायल थे, उनकी पट्टी तक खुला दी। प्रदेश के दोनों प्रवक्ताओं पर मुकदमें चला दिये।

मान्यवर, हम सब लोग आप के मातहत हैं, आप हमारे सिरमौर हैं, अगर हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, अगर आपकी इस पीठ से न्याय नहीं मिलेगा तो हमें न्याय कौन देगा। मान्यवर, आज भी हमारे एक माननीय विधायक की स्थिति गम्भीर बनी हुई है। उनके सिर पर चोट आई है उनका एम0आर0आई0 कराया जा रहा है उनको चक्कर आ रहा है। बिल्कुल बेहोशी की हालत है। मान्यवर, आज भी सदन के अन्दर गाली–गलौज का माहौल सदन के शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही हो गया। मान्यवर, जैसा कि माननीय प्रकाश पंत जी ने कहा कि हमारे अन्दर सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। इतना नैतिक साहस होना चाहिए कि हम विपक्ष द्वारा कही गई बातों को धैर्यपूर्वक सुनें, चाहे वह कोई भी हो। मान्यवर, जो कुछ भी पटवारी प्रकरण में हुआ है तथा और भी तमाम मामले हैं इसलिए हमको आज नियम 311 लाना पड़ा। इस मामले में वृहत बहस होनी चाहिए। जो पटवारी प्रकरण का मामला है जिसमें कमिश्नर द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाए। इसके साथ ही मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग तय कर लें कि अब कौन माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, सभी सदस्यों को दो–दो मिनट बोलने दें इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सभी सदस्यों के अन्दर आक्रोश है। अगर सदन एक दो दिन अधिक भी चल गया तो कोई बात नहीं। वैसे भी सदन बहुत कम दिनों के लिए चलाया जा रहा है। यहाँ पर 20–30 साल के संसदीय परम्पराओं के अनुभव की बहुत बात कही जाती है। 90 दिन सदन चलना चाहिए किन्तु 9 महीने के अन्दर मात्र 9–10 दिन ही सदन चला है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने नियमों के निलम्बन का प्रस्ताव जो माननीय प्रकाश पंत जी ने रखा उस पर बोलने का मौका दिया। इस नियम के अन्तर्गत तीन बातें होती हैं जिसमें सर्वप्रथम यह कि यह अविलम्बनीय हो, दूसरा लोकमहत्व का हो, तथा तीसरा तात्कालिक भी हो। मेरा आपसे निवेदन है कि मान्यवर, सरकार के ऊपर विपक्ष ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, भ्रष्टाचार का आरोप कैसे लगा, यह माननीय श्री अजय भट्ट जी ने कहा। एक उच्च अधिकारी ने अपनी आख्या दी। प्रशिक्षण में पटवारियों को बाहर क्यों किया, जब उन्होंने रिट याचिका दायर की है, सरकार की ओर से उस पर पहल क्यों नहीं की गयी ? मान्यवर, इससे ऐसा लगता है सरकार भ्रष्टाचार को छिपाना चाहती है। यह गम्भीर आरोप है, जनता के सामने असलियत आनी चाहिए, इसीलिए मान्यवर, इस सदन में हमें भेजा गया है। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ। मान्यवर, आज हमारे विधायक की जान खतरे में है, माननीय विधायक को पीटा गया। आज वे अस्पताल में भर्ती हैं। मान्यवर, हम स्वीकार करते हैं हमें सदन में बैठना चाहिए था। मान्यवर, हम इसलिए बैठे थे, जब एक विधायक के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा। मान्यवर, जो माननीय मंत्रीगण कटाक्ष कर रहे हैं उन्हें संसदीय आचरण का ज्ञान होना चाहिए। आप हमारे गार्जियन हैं। हम अपनी बात सदन में नहीं कहेंगे तो और कहां कहेंगे। भ्रष्टाचार का जो गम्भीर आरोप सरकार पर लगा है उसको सार्वजनिक रूप से पटल पर रखा जाना चाहिए। दूसरा बिन्दु माननीय विधायक श्री हरबंस कपूर तथा श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत पर हमला किया गया। मेरा एक निवेदन है कि असलियत सामने आनी चाहिए। गुण्डागर्दी से सरकार नहीं चलनी चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस पर अपना विनिश्चय दें।

श्रम एवं परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि यह प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, क्या सदन इस पर चर्चा कर सकता है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, अब यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

सिर्फ लाठी चार्ज सम्बन्धी मामले पर चर्चा करें।

(श्री हरबंस कपूर जी ने उन्हें बोलने का अवसर न मिलने पर सदन का बहिष्कार किया)

(व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि इस सूचना पर बोलने के लिए 2–3 माननीय सदस्य और हैं कृपया उनको भी बोलने का मौका दे दें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के अनुरोध पर बल देना चाहता हूँ। मान्यवर, नियम 311 की सूचना के अन्तर्गत माननीय हरबंस कपूर जी से ताल्लुक एक बिन्दु और जुड़ गया है। चूँकि बात सदन में आ गई है, उनका नाम भी आ गया है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पर आप माननीय सदस्यों को सुन लें।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री [डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी का निर्णय सर्वोपरि है। माननीय अध्यक्ष जी ने एक बार सुनने को कहा और आप ही ने तय किया है कि किसको बोलना है। कई माननीय सदस्य इस पर बोले और माननीय अध्यक्ष जी ने सुन लिया। परन्तु एक ही नोटिस पर सब विषयों पर बोला जाये तो परम्पराओं का उल्लंघन है। तो मान्यवर हमारी यह जिम्मेदारी है कि सदन चलाने में सबका सहयोग हो। मान्यवर, आपने नियम 311 के अन्तर्गत सुनने को कहा, उस पर सुन लिया गया है, और नियम 311 के अन्तर्गत जितने प्रश्न आ गये हैं क्या उन सबको लिया जायेगा, नियम के अन्तर्गत ऐसा नहीं किया जायेगा। माननीय प्रकाश पंत जी ने जो बातें रखी हैं उस पर सरकार का निर्णय होगा। मान्यवर, बाकी बातों को अन्य नियम के अन्तर्गत रख लिया जाये।

(व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आपने जो बातें कही, बहुत नियम की बातें कही। 311 असाधारण परिस्थिति में उठाया गया प्रश्न है और यह आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से इस पर सुना जाता है। और मैं सोचता हूँ कि दो–चार सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं, उन्हें सुनने में कोई बड़ा अन्धेर होने वाला नहीं है। ग्राह्यता और अग्राह्यता तो सब आपके ऊपर है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, दिनांक 13–12–2002 को भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा का घेराव प्रस्तावित था, इस प्रस्तावित घेराव में शान्ति बनाए रखने के उद्‌देश्य से पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।

(व्यवधान)

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष, आपने मुझे यह अवसर दिया, मुझे नोटिस दी, मैंने शिक्षक की भूमिका अदा की है, मैं पढ़ लेती हूँ। यदि आप भ्रष्टाचार पर मुद्‌दा बनाते हैं तो माननीय प्रकाश पंत जी, आपके माध्यम से उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ।

(व्यवधान)

मान्यवर, आपको हमने 16 माह बड़े इत्मिनान के साथ सुना।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि कभी–कभी पावर करेप्ट्स एबसल्यूटली एण्ड एब्सोल्यूट पावर करेप्ट्स एबसल्यूटली। मेरा कहना है कि इन्दिरा जी एक वरिष्ठ सदस्य हैं, आपका यह कहना कि साहब, चूँकि हम एक जगह भारी बहुमत से जीत गए, हमारे उत्तरांचल में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मान्यवर, ऐसी स्थिति हो गयी है कि इसी चुनाव के दौरान मुझे तो लोगों ने कहा कि हर पेट्रोल पम्प से कितना–कितना पैसा लिया गया। आपने बोला कि भ्रष्टाचार पर हमारी जीत हो गयी है।

मान्यवर, पटवारी प्रकरण भ्रष्टाचार को लेकर है। जो भ्रष्टाचार प्रदेश में फैला है उसको लेकर प्रदेश की जनता सड़कों पर उतर आयी। इस पर उन पर लाठी चार्ज किया गया। यह बात माननीय सदस्य बोल रहे थे, यह बात चल रही थी।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, यह सरकार को निर्णय करना होगा कि वह क्या वक्तव्य दे। आप नोटिस देख लें। सरकार कोई भी वक्तव्य तथ्यों पर देगी, आपके डिक्टेशन पर नहीं देगी। आपने उसको प्रारम्भ किया, हमने उसका जवाब दिया। लेकिन आपने आपत्ति की कि पटवारी वाले मामले पर बोलेंगे। हमने उसको सुना। इसी प्रकार से आपको सरकार के पक्ष को भी सुनना चाहिए। उत्तर देने के लिए जनतंत्र और जनमत का निर्णय ही सर्वोच्च माना जाता है। उत्तरांचल में निर्णय हुआ। जिसमें भ्रष्टाचार बनाम विकास का नारा दिया गया। उत्तरांचल की जनता ने विकास के नारे को स्वीकार किया।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, पटवारी प्रकरण और अन्य भ्रष्टाचार में तीन मंत्रियों के नाम आए हैं। लेकिन उसमें केवल एक ही जिलाधिकारी निलम्बित हुआ है। किसी गुनाह के लिए एक ही व्यक्ति कभी दोषी नहीं हो सकता। यह सदन के सामने आना चाहिए।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, भ्रष्टाचार पर माननीय सदस्य उत्तेजित हैं। इसका निर्णय हमारी उत्तरांचल की जनता ने दे दिया है। क्योंकि इन्होंने ही भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया था और हमने विकास का नारा दिया था। जिसमें विकास के मुद्दे को उत्तरांचल की जनता ने स्वीकार किया।

(व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, इस देश की जनता ने गुजरात में भी निर्णय दिया है।

(व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, यह सम्मानित सदन का कीमती समय है। जो कि राजनैतिक बातों और

भ्रष्टाचार जैसी बातों पर बर्बाद हो रहा है। तो यह शुभ संकेत नहीं है। विषय जो प्रस्तुत है, सदन की कार्यवाही इस पर चलायी जाए।

डा० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं तो पहले ही तीन–चार महीने से इस मुद्दे को सुन रही हूँ। इस मुद्दे का निर्णय तो अदालत करेगी। जन–अदालत करेगी या फिर लोकायुक्त द्वारा किया जाएगा। उत्तरांचल में लोकायुक्त नियुक्त हो चुका है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हम स्थिति स्पष्ट कराना चाह रहे हैं। हमें भाषण नहीं सुनना है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया विषय पर आयें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम पटवारी प्रकरण पर जवाब चाहते हैं। (व्यवधान)

डा० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वे स्पष्ट कर दें कि नोटिस का मुख्य बिन्दु क्या है ?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, हमारी नोटिस पटवारी भर्ती में हुए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप लाठीचार्ज पर अपना वक्तव्य दें। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, सरकार ने दो लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन आज दो–दो लाख रुपये में रोजगार दिया जा रहा है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मूल विषय लाठी चार्ज है। (व्यवधान)

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत ये कितने विषय उठा सकते हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, हमारी केवल एक ही सूचना है।

डा० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने मुझे निर्देश दिया कि मैं कानून–व्यवस्था पर बोलूँ। जबकि

माननीय प्रकाश पंत जी चाहते हैं कि मैं पटवारी भर्ती प्रकरण पर बोलूँ। मान्यवर, मैं पीठ के आदेश पर ही बोल रही हूँ। शासन इसे गम्भीरता से ले रहा है।

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हमारा मूल विषय पटवारी भर्ती प्रकरण है। मान्यवर, इस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है। (व्यवधान)

श्री प्रदीप टम्टा–

मान्यवर, ये भ्रष्टाचार के बारे में कैसे बोल सकते हैं ? इनके पार्टी कार्यालय में 27 लाख रुपये कहाँ से मिले। मान्यवर, इन्होंने विधायकों को खरीदने की कोशिश की थी। (घोर व्यवधान) ये कैसे भ्रष्टाचार की बात कर सकते हैं। ये पूरे उत्तरांचल के लोगों को खरीदना चाहते हैं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इस तरह से सदन नहीं चल पायेगा।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, हमने नियम 311 के अन्तर्गत पटवारी भर्ती में हुए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सूचना दी है।

(कई लोगों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मेरा आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि कम से कम यदि सदन को व्यवस्थित रूप से चलाना है तो परम्पराओं का निर्वहन तो आपको करना ही होगा। सरकार की तरफ से जवाब कोई माननीय विधायक क्यों दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी क्यों नहीं उत्तर दे रहे हैं ? यदि सरकार की ओर से ऐसे ही उत्तर आयेंगे तो यही सिद्ध होगा कि मंत्री जी उत्तर देने में असमर्थ हैं।

(कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग बैठ जाइये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, श्री काशी सिंह ऐरी, नेता विधान मण्डल दल, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल कुछ बोलना चाहते हैं। परम्परा के अनुसार इनको बोलने का मौका दें।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग बैठ जायें।

श्री प्रदीप टम्टा–

मान्यवर, विपक्ष द्वारा जो रवैया अपनाया जा रहा है वह क्या है ? माननीय विधायकों को सदन के अन्दर आने से रोका जाता है। माननीय अध्यक्ष जी को रोका जाता है जो कि श्री अध्यक्ष की गरिमा के प्रतिकूल है।

(घोर व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपको तो 32 साल का अनुभव है। कृपया आप यह बताने का कष्ट करें कि सरकार की ओर से क्यों विधायकों को उत्तर देना पड़ रहा है ? क्या मंत्रीगण उत्तर देने में असमर्थ हैं या आपकी सरकार ने अपने सभी विधायकों को अपने सीक्रेट्स दे रखे हैं ?

(घोर व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं अपनी बात को एक मिनट में समाप्त कर लूंगा। प्रश्न जो यहां पर उपस्थित किया गया था, नियम 311 के अन्तर्गत उसमें सदन में वाद–विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मान्यवर जो प्रश्न उठाया गया है उसमें शायद वह यह कहना चाह रहे थे कि इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी उत्तर दें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को हम डिक्टेट तो नहीं कर सकते, परन्तु सरकार की ओर से माननीय मंत्री जी को ही उत्तर देना चाहिए।

मान्यवर, इसमें साफ लिखा है कि भर्ती प्रकरण पर भ्रष्टाचार हुआ। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ किन्तु इस नोटिस में स्पष्ट है। हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अभी हमारा प्रदेश नया है, बहुत से लोगों की आकांक्षाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ऐसे में इस छोटे से राज्य में भ्रष्टाचार शब्द सुनाई देता है तो इस प्रदेश की जनता का इस सदन से विश्वास उठ जाएगा। माननीय सदस्यगण इस सम्मानित सदन के माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं। सरकार को गम्भीरता से इस विषय पर वक्तव्य देना चाहिए, उत्तेजना नहीं फैलानी चाहिए। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस विषय पर सरकार ने क्या जानकारी हासिल की है, उसके पास जो सूचना है, उससे सदन को अवगत कराए, मैं इसके लिए सरकार को बाध्य नहीं कर रहा। लेकिन मेरा सरकार से अनुरोध है कि कृपया इसे स्पष्ट करें।

(व्यवधान)

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, आप स्पष्ट कर दें कि 311 का नोटिस किस विषय पर है, उस पर सरकार अपना जवाब दे देगी।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, प्रश्न तो आपको तय करना है कि किस विषय पर सरकार का जवाब चाहिए। जब मैं भ्रष्टाचार पर बोलने के लिए खड़ी हुई तो आप लोग उत्तेजित हो गए। जब मैंने लाठी चार्ज के विषय पर बोलना शुरू किया तब भी आप सुनने को तैयार नहीं हुए। इसलिए आप पहले यह निश्चित कर लें कि किस विषय पर हमको सुनना चाहते हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, हमने विधान सभा सत्र के पहले ही दिन पटवारी प्रकरण पर नियम 311 के अन्तर्गत अपनी नोटिस दी थी और उसी प्रकरण पर जनता शान्तिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रही थी किन्तु उनकी आवाज को दबाने के लिए पुलिस ने नृशंस व्यवहार किया। मान्यवर, सारा प्रदर्शन भ्रष्टाचार को लेकर था, लेकिन उनकी आवाज को दबाने के लिए और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया।

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है। इसे एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता. मैं चाहूँगा कि पहले पटवारी प्रकरण से शुरू किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

जो इस नोटिस की सूचना है, वह मामला लाठी चार्ज से सम्बन्धित है। पटवारी प्रकरण गम्भीर विषय हो सकता है। यह एक अलग विषय है।

(व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, सरकार यदि उत्तर देने के लिए तैयार है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं।

(व्यवधान)

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नियम यही है कि आप जो नोटिस देते हैं उसी पर सरकार जवाब देती है। मैं गैरजिम्मेदाराना बात कहूँ ऐसा नहीं है। यह जो आपने प्रदर्शन किया उसका कारण इसमें लिखा है। यह अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है कि उन्होंने कृपा की कि इस नोटिस को लिया और आपने पढ़ा। मान्यवर, आपने लिखा है कि "जनपद पौड़ी गढ़वाल में विगत दिनों राजस्व विभाग के पटवारियों की भर्ती में किये गये घोटाले प्रमाणित हो चुके हैं। जिसमें सरकार के विभागीय मंत्री सहित अन्य मंत्री भी आरोपित किये गये हैं। प्रकरण में आरोपित मंत्रीगणों को बर्खास्त किये जाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजधानी देहरादून में 13–12–2002 को पूर्व घोषित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। जिन पर पुलिस द्वारा सरकार के इशारे पर बर्बर लाठीचार्ज तथा पथराव किया गया।

महिलाओं के साथ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया, माननीय हरबंस कपूर को सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोका गया। उन्हें गम्भीर चोट आई है तथा माननीय त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी के सर पर गम्भीर चोट आई है तथा इस घटना में 11 नागरिक घायल स्थिति में भर्ती किए गये हैं। सरकार की इस दमनात्मक कार्यवाही से सम्पूर्ण प्रदेश

में आक्रोश व्याप्त है"।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने कहा कि सरकार दोनों विषयों पर बोलने के लिए तैयार है। मेरा आपसे निवेदन है कि 13 दिसम्बर, 2002 को जो घटना घटित हुई उसका भी थोड़ा सा वर्णन सुन लें। हम लोग बाहर शान्तिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे किन्तु वहाँ पर पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हमारे एक भूतपूर्व मंत्री को पीटा गया उनको काफी चोट आई है। पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को बर्बरतापूर्वक पीट रहे थे। आपने वीडियो तथा अखबार में भी देखा होगा। मैं नहीं सोचता हूँ कि पुलिस को शान्तिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले लोगों पर गोली चलाने का अधिकार है या लाठी चार्ज का अधिकार है। हमारी उत्तरांचल की पुलिस जो मित्र पुलिस भी कहलाती है, इनको इस तरह का प्रशिक्षण कौन दे रहा है ?

(सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, सूचना किसी और ही विषय पर है और माननीय नेता प्रतिपक्ष किसी और ही विषय पर बोल रहे हैं। इसलिए अब यह अपनी सूचना को विदड्रा करना चाहते हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं दूसरे विषय पर नहीं बोल रहा हूँ, जो विषय है, उसी पर बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

राजस्व, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, आप जिस विषय पर बोलना चाहते हैं, उस पर बोल लें, जिस विषय पर सुनना चाहते हैं, हम उसका जवाब देने को तैयार हैं, हम खुली चर्चा करने को तैयार हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो पटवारी प्रकरण पर बोलिये। मान्यवर, जिस प्रकार से समाचार–पत्रों में माननीय मंत्री जी के बयान आये हैं– "बाबू या . . . . ." मान्यवर, इसे मैं आगे नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ क्या सरकार रिपोर्ट को सदन के पटल पर प्रस्तुत करना चाहती है ? मान्यवर, मैं यह नहीं कह रहा हूँ– माननीय तीनों मंत्रियों ने पैसा खाया है। मान्यवर, कमिश्नर रैंक का आपका आदमी कहता है, 20 नम्बर की मैरिट होनी चाहिए, उसमें शारीरिक परीक्षा नहीं ली गयी है, यह रिपोर्ट अखबारों के माध्यम से आयी है।

मान्यवर, परीक्षा में जो सबसे कम अंक लाते थे उनको पास कर दिया गया और जो अधिक अंक लाया था उसको फेल कर दिया गया है। मान्यवर, उसमें रुपया लिया गया है, जब कमिश्नर की रिपोर्ट आई तब आपने डी0एम0 को बर्खास्त कर दिया। मान्यवर, जो जनता बोल रही है उसकी ओर हमको ध्यान देना चाहिए। मेरे प्रति कोई बोलता है तो मुझे

भी इस पर सावधान रहना चाहिए और आपके प्रति कोई बोलता है तो आपको भी सावधान रहना चाहिए। मान्यवर, कमिश्नर कह रहा है कि इसमें घूस ली गई है, ऐसी प्रकरण पर बदमाशी की गई है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण में बदमाशी शब्द का प्रयोग किया है, जो कि असंसदीय है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, बदमाशी शब्द अगर असंसदीय है तो हम इस शब्द को वापस ले रहे हैं। मान्यवर, इस प्रकरण में जो लोग लिप्त हैं उनको इस विषय पर खेद प्रकट करना चाहिए। तब जाकर जनता में विश्वास जागृत होगा।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहती हूँ। मान्यवर, जो सदस्य नोटिस देते हैं उन्हें स्पष्ट होना चाहिए कि उनकी नोटिस किस बिन्दु पर है, क्योंकि कभी भी दो बिन्दुओं पर नोटिस नहीं होती है। मान्यवर, यह तय करने में कठिनाई हो रही है कि जो लाठी चार्ज हुआ है उस पर बोलना है, भ्रष्टाचार पर बोलना है या पटवारी प्रकरण पर बोलना है। मान्यवर, जब मंत्री बोलें तो आप धैर्य से सुनिये। मान्यवर, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी के 60 वर्ष के राजनैतिक जीवन और 50 वर्ष के संसदीय जीवन में उनके दामन पर दाग नहीं लगा है। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी के रहते हुए कोई इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करेगा जिस पर उंगली उठे। मान्यवर, पटवारियों की भर्ती पर आपत्ति की गई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दायित्व था उस पर उन्होंने जांच के आदेश दिये। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वोच्च अधिकारियों को दण्डित करने के पक्षधर हैं।

मान्यवर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर जांच के आदेश दिए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निलम्बित कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपनी कलम से आदेश दिए। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निलम्बित हुआ, चार्ज–शीट दी गयी, कहीं भी मंत्रियों के खिलाफ न कोई उंगली उठायी गयी, न कोई संकेत किया गया और न ही इन मंत्रियों ने कोई भ्रष्टाचार किया। यह सर्वविदित है। और न ही कोई इस प्रकार का मामला लोकायुक्त के पास गया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी के मुख्यमंत्रित्वकाल में भ्रष्टाचार असम्भव है। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑल इण्डिया सर्विसेज का सर्वोच्च अधिकारी होता है और इनके कागजात भी बाहर जाते हैं। अब यदि हम जानबूझकर इसे राजनैतिक तूल देने की बात करें कि मंत्री भ्रष्ट हैं तो यह उचित नहीं है। मुझे यह भी तकलीफ होती है कि जनता भी बाहर यह सुनते–सुनते थक गयी है। यदि ऐसा था तो भ्रष्टाचार का क्या कोई मामला लोकायुक्त में गया, एक भी अर्जी लोकायुक्त में गयी ? लोकायुक्त एक वरिष्ठ सदस्य हैं जिन्होंने अतिमहत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले दिए हैं उनके पास कोई अर्जी नहीं गयी। इससे यह प्रतीत होता है कि हम भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच हेतु मुख्यमंत्री जी के पास कागजात गए,

माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर जांच के आदेश दिए और दोषी व्यक्ति को निलम्बित किया गया, कईयों को चार्ज-शीट दी गयी। यहाँ तक कि इसमें जाँच के लिए विजलेन्स में देने की भी बात उन्होंने कही। तो इस पर जानबूझकर राजनैतिक मोड़ देना, यह राजनैतिक दुर्भावना है।

श्री प्रकाश पंत-

मान्यवर, या तो इस पर चर्चा स्वीकार की जाए या . . . . (व्यवधान)

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, आपको सरकार के पक्ष को सुनने का धैर्य रखना होगा, आप अपनी बात को लोकायुक्त में रखिए। हम इस पर बोलना नहीं चाह रहे थे, आपने बोलने पर मजबूर किया। अब जन-अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि श्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार के मंत्रियों पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यदि यह मामला सदन में उठेगा तो मैं सदन में जवाब दूँगा। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष का बहुत बड़ा पद होता है, मैं उनका सम्मान करती हूँ।

मान्यवर, हम नेता प्रतिपक्ष का पूरा आदर करते हैं और वो जो अपेक्षा कर रहे हैं उसका उत्तर हम देंगे। उत्तर न देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हमारे मन में कोई दुर्भाव नही है। अगर नेता प्रतिपक्ष कहेंगे कि हमें दिखा दिया जाए या फिर सदन के पटल पर रख दिया जाए तो जांच की रिपोर्ट दिखा दी जायेगी। या फिर वो कहेंगे कि हमारे पास भेज दी जाए तो फाइल सहित उनके पास भेज देंगे। यह नेता प्रतिपक्ष का पूरा अधिकार है क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता केवल अपने दल का नेता नहीं होता है बल्कि वह पूरे विपक्ष का नेता होता है। नेता प्रतिपक्ष की बात को हम गंभीरता से लेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूँ कि सरकार की ओर से जो भी कार्यवाही की गयी है और जो रिकार्ड देखना चाहें। जो चार्जशीट गयी उसका जो उत्तर आया। पटवारी प्रकरण पर जहां कहीं चूक हुई। नेता प्रतिपक्ष को पूरा अधिकार है। हम उनको उपलब्ध करा देंगे। किसी भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हम इसको बार-बार दुहरायेंगे। मान्यवर, नोटिस एक है। अगर नोटिस अलग-अलग होगी तो हम एक बात का एक दिन और दूसरी बात को दूसरे दिन बोल देते। लेकिन यह एक ही नोटिस में है। इसलिए मैं बोल रही हूँ। जो 13-12-2002 को प्रदर्शन हुआ और जिसको भी, जैसी भी चोटें आई किसी को गम्भीर चोटें आई हैं तो यह खेदपूर्ण है। जनतंत्र में प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है लेकिन अहिंसा और शान्तिपूर्ण तरीके से। और सत्ता पक्ष की यह जिम्मेदारी होती है कि वह देखे कि अराजकता से कोई हिंसा का वातावरण तो नहीं पैदा हो जाएगा। हमारा भी बहुत लम्बा राजनीतिक अनुभव है। मान्यवर, जब हम लखनऊ में धरना-प्रदर्शन करते थे तो प्रशासन का आदेश होता था कि आपको इस बैरियर से आगे नहीं जाना है और हम उसको पार करने का प्रयास नहीं करते थे। हम भी प्रदर्शन करते थे, लेकिन शान्तिपूर्ण तरीके से। तो यहाँ पर यह उत्तरदायित्व हमारा भी है और आपका भी कि आप इसमें हमारा पूरा सहयोग करें। हमारे जिन माननीय विधायकों को चोटें आयी हैं, कम आयी हो या अधिक आयी हो। हमको तकलीफ है। हमारे माननीय विधायक श्री हरबंस कपूर जी को उच्च रक्त चाप है लेकिन फिर भी उनको दौड़ना पड़ा इसके लिए हमें खेद है। मुझे बताया गया है

कि कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इसके लिए भी हमें दुःख है। मान्यवर, यहाँ दलगत राजनीति अलग है। आज हम सत्ता में बैठे हैं और कल विपक्ष में बैठेंगे। ऐसा सबके साथ होता है तो यहाँ पर दलगत राजनीति का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से हो इसके लिए सरकार के साथ-साथ आप लोगों का भी उत्तरदायित्व बनता है। जो हमारे पास रिपोर्ट आयी है। हमने जो वीडियोग्राफी देखी है।

मान्यवर, हमने इसे अतिगम्भीरता से लिया है। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यवहार है। हिंसा से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दूर-दूर का भी कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने आजादी की लड़ाई में बड़ी यातनाएं सहीं, लेकिन कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। हम उन्हीं के अनुयायी हैं। हमने इस मामले में सभी सम्बन्धित अधिकारियों को बुला कर पूछा, घटना की वीडियो फिल्म भी देखी कि आखिर क्यों आँसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, क्यों पानी की बौछार डालनी पड़ी। हमने इसका विश्लेषण किया। मान्यवर, दिनांक 13-12-2002 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधान सभा का घेराव प्रस्तावित था। उक्त प्रस्तावित घेराव के मद्यनजर शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से विधान सभा की तरफ आने वाले मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। विधान सभा की तरफ आने वाले विभिन्न मार्गों पर सम्भावित भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बैरियर लगाये गये थे। उत्तरांचल के विभिन्न जनपदों से लगभग 3000-3500 भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बन्नू स्कूल, रेसकोर्स, देहरादून में एकत्रित हुए। लगभग 12.30 बजे अपरान्ह उपरोक्त कार्यकर्ताओं ने श्री मनोहर कान्त ध्यानी, भाजपा अध्यक्ष, उत्तरांचल के नेतृत्व में विधान सभा के लिये प्रस्थान किये। लगभग डेढ़ बजे जुलूस रिस्पना पुल पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगाये गये बैरियर के पास पहुंचा तथा जबर्दस्ती विधान सभा की तरफ कूच करने का प्रयास किया गया। जैसा कि जनरली होता है। पुलिस बल द्वारा उनको रोकने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन जुलूस विधान सभा जाने के लिये आमादा था। थोड़ी देर बाद जुलूस अनियंत्रित हो गया तथा बैरियर को तोड़कर विधान सभा की तरफ बढ़ने लगा। रिस्पना पुल तिराहे पर पुलिस बल द्वारा भीड़ को रुकने को कहा गया, तो जुलूस द्वारा लगातार आगे बढ़ते हुए अकारण पथराव शुरू कर दिया गया। पुलिस बल द्वारा अत्यन्त संयम बरतते हुए भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया, परन्तु सभी प्रयासों एवं अपील के बावजूद भीड़ अनियंत्रित हो गयी तथा पथराव और तेज कर दिया। भीड़ की ऐसी नियत देखकर, मौके पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा हिंसक भीड़ को बार- बार बाज आने की एवं मौके से हट जाने की चेतावनी दी गयी। इस प्रकार चेतावनी के बाद भी भीड़ द्वारा पथराव जारी रखा गया। हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के उद्देश्य से अधिकारियों द्वारा पानी की बौछार भी करायी गयी, परन्तु भीड़ द्वारा भारी पथराव जारी रखा गया। भीड़ को अत्यधिक उग्र देखकर तथा और कोई चारा न देखकर उन्हें तितर- बितर करने के लिए आंसू गैस के शेल्स छोड़े गये तथा जमीन पर लाठी पटकते हुए बैरियर पार करती भीड़ को वापस बैरियर की ओर खदेड़ा गया। उग्र भीड़ द्वारा किये गये पथराव एवं भगदड़ के दौरान मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को भी व्यापक चोटें आयी। उग्र भीड़ द्वारा पथराव एवं आपसी भगदड़ के कारण जुलूस में आगे कुछ लोगों को भी चोटें आयीं। श्री मनोहर कान्त ध्यानी सहित लगभग 384 लोगों को मौके पर धारा 151 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया, जिसके फलस्वरूप

स्थिति नियंत्रण में लायी गयी। बाद में उपरोक्त 151 में गिरफ्तार सभी लोगों को रिहा किया गया।

उपरोक्त घटना में निम्नलिखित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी/कर्मचारी जो भीड़ द्वारा पथराव में घायल हुए का डाक्टरी मुआयना दिनांक 13–12–2002 को किया गया— श्री विनोद रतूड़ी, ए0डी0एम0, वित्त, देहरादून, कुमारी सोनिया वर्मा, एस0डी0एम0, देहरादून, श्री मनोज राय, एस0डी0एम0, नगर, देहरादून, श्री जी0एस0 मार्तोलिया,एस0पी0 सिटी, देहरादून, श्री बी0के0 जुयाल, सी0ओ0 सिटी, देहरादून, श्री अरुण कुमार पाण्डे, प्रभारी निरीक्षक, डालनवाला, श्री जी0आर0 नवियाल, कम्पनी कमाण्डर, ए0 कम्पनी, 31 वाहिनी, पी0ए0सी0, श्री चक्रधर अण्टवाल, कम्पनी कमाण्डर, ई0 कम्पनी, 40 वाहिनी, पी0ए0सी0, महिला कांस्टेबिल आशा, महिला कांस्टेबिल अनिता बिष्ट तथा 27 अन्य पुलिस के अधिकारी/कर्मचारी। हिंसक भीड़ द्वारा मौके पर पथराव एवं तोड़–फोड़ करने के सम्बन्ध में थाना डालनवाला पर प्रभारी निरीक्षक डालनवाला श्री अरुण कुमार पाण्डेय द्वारा दिनांक 13–12–2002 को मुकदमा अपराध संख्या 353/02 धारा 147/148/353/332/336/307 भारतीय दण्ड विधान व 7 क्रिमिनल अमेण्डमेंट एक्ट एवं 2/3 पी0पी0डी0 एक्ट के अन्तर्गत 18 नामजद एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कराया।

घायल अधिकारी/कर्मचारियों का उपचार कराया गया। इस अभियोग में निम्नलिखित लोग नामजद हैं— श्री मनोहर कान्त ध्यानी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्री हरबंस कपूर, नगर विधायक देहरादून, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत विधायक डोईवाला, श्री रमेश पोखरियाल पूर्व मंत्री, श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल, जिलाध्यक्ष भाजपा, श्री विनोद चमोली, नगर अध्यक्ष देहरादून, श्री गणेश जोशी, श्री नरेन्द्र स्वरूप मित्तल कोषाध्यक्ष, श्री विश्वास डाबर प्रवक्ता भाजपा, श्री उमेश अग्रवाल, श्री लाखी राम जोशी, श्री हंसराज मेहरा, श्री अनिल गोयल, श्री विनोद शर्मा, श्री प्रकाश सुमन ध्यानी, श्री मोहन सिंह गाँववासी, श्री नरेश बंसल, कु0 बबीता सोहता एवं उग्र भीड़ में मौजूद अन्य अज्ञात पुरुष और महिलाएं। भारतीय जनता पार्टी के दिनांक 13–12–2002 के प्रस्तावित विधान सभा घेराव कार्यक्रम में पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठी–चार्ज नहीं किया गया। बार–बार चेतावनी देने के बावजूद अत्यधिक उग्र हुई भीड़ को केवल जमीन पर लाठी पटक कर पीछे बैरियर की तरफ खदेड़ा गया था।

उपरोक्त प्रदर्शन में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पर्याप्त संख्या में महिला आरक्षी तैनात की गई थी। प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ पुलिस बल द्वारा अमर्यादित व्यवहार नहीं किया गया और न ही उन पर किसी प्रकार का बल प्रयोग किया गया। महिला आरक्षियों द्वारा उनको समझा–बुझाकर वापस किया गया था।

माननीय विधायक श्री हरबंस कपूर तथा श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे तथा अधिकारियों द्वारा इन्हें बैरियर पार कराकर सुरक्षित विधान सभा पहुँचाया गया।

माननीय विधायकगण को आयी चोटें भीड़ में मची भगदड़ एवं आपसी पथराव के द्वारा आना प्रतीत होती है। अन्य प्रदर्शनकारियों की चोटें भी आपसी पथराव एवं भगदड़ में आयी प्रतीत होती है, भाजपा के किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस को दिनांक 13–12–2002 को कोई प्रार्थना–पत्र नहीं दिया गया।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह तो लीपापोती हो गई। माननीय मंत्री जी तो पुलिस विभाग की रिपोर्ट ही पढ़ रही हैं। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है, खेदजनक है।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य वैल में आकर बैठ गये और नारे लगाने लगे— भ्रष्टाचारी मंत्रियों को बर्खास्त करो, लाठी–डन्डे की सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, विधायकों पर आक्रमण बंद करो–बंद करो आदि)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपना आसन ग्रहण करें।

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह सदन की अवमानना का प्रश्न बनता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कोश्यारी जी, आपके माननीय सदस्यों का बार–बार वैल में आ जाना क्या शोभनीय है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप सभी सदस्यों को अपना–अपना आसन ग्रहण करने को कहें।

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(वैल में बैठे माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब हम 3.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(भोजनावकाश)

(श्री अध्यक्ष के 3 बजे अपरान्ह पुनः पीठासीन होने पर)

(माननीय अध्यक्ष जी के पुनः पीठासीन होने पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य वैल में बैठे थे)

*सहकारिता पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

माननीय अध्यक्ष जी आपके आने पर सब लोग खड़े हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य तो नीचे बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपना आसन ग्रहण करें जिससे विधान सभा व्यवस्थित तरीके से चल सके।

(व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रसंग पर आपने सुनने का कष्ट किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे माननीय मंत्री जी ने अपना उत्तर भी दिया, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में साफ कहा कि जो पटवारी प्रकरण है उसे सदन के पटल पर रखेंगे।

मान्यवर, यह बात सत्य से परे है इसलिए सदस्यों में उत्तेजना तो होगी ही।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों द्वारा वैल में बैठकर एक साथ नारे लगाने पर घोर व्यवधान)

"दमन के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी—नहीं चलेगी"

श्री अध्यक्ष—

मेरा सभी माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि वे अपना आसन ग्रहण करें तभी सदन व्यवस्थित ढंग से चल पाएगा।

श्री भगत सिंह कोश्यारी—

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक पटवारी प्रकरण को सदन पर रखने की बात कही तथा दूसरी इस पर चर्चा करने की बात कही। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर चर्चा कराई जाए।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, जो प्रश्न 311 में उठाए जाते हैं उन पर सरकार को अपना पक्ष रखना होता है। सरकार ने अपना पक्ष रखा अब यह प्रतिपक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि वे सरकार के पक्ष से सहमत हों या न हो। प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। यदि सदन व्यवस्थित ढंग से चले तो हम अपनी बात को कह पायेंगे वरना हम क्या उत्तर देंगे और क्या नेता प्रतिपक्ष अपनी बात को रखेंगे। हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार एक दरोगा के दो दाँत टूट गये और हमारे माननीय विधायक को चोट आई तो हमें इस बात का संज्ञान तो लेना ही पड़ेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों द्वारा वैल में बैठकर नारे लगाने पर घोर व्यवधान)

"दमन के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी—नहीं चलेगी"

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, आपकी अध्यक्षता में हम अपनी बात को तभी रख सकते हैं जब सदन व्यवस्थित ढंग से चले। हम सभी देख रहे हैं कि सदन व्यवस्थित ढंग से नहीं चल रहा है। ऐसी अव्यवस्थित स्थिति में न तो नेता प्रतिपक्ष अपनी बात को रख पायेंगे और न हमारी बात का कोई अर्थ रहेगा।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों द्वारा वैल में बैठकर पुनः नारे लगाने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण करें। क्या सदन इसी तरह से चलेगा ? आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं। सभी माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें तभी आगे की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी तभी आप सभी लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना मेरे ख्याल से किसी माननीय सदस्य का इरादा नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो विषय नियम 311 के अन्तर्गत रखा है, वे उस पर चर्चा करना चाहते हैं।

डॉ० (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, सदन इस तरह अव्यवस्थित ढंग से कैसे चलेगा। कई माननीय सदस्यों की नोटिस थी, हमने आपको सुना। आप पहले ही वैल में आ गये ऐसे में यह सदन कैसे चलेगा। हम आपका उत्तर क्या देंगे, यह सरकार का पक्ष है इस पर आप दबाव नहीं बना सकते हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, हम इस बात से चिंतित हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस विषय को नियम 311 के अन्तर्गत नहीं लिया था, मैं आप लोगों को नियम 56 के अन्तर्गत सुन रहा हूँ।

डॉ० (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, नियमावली के अनुसार प्रतिपक्ष का पूरा सम्मान और आदर करते हैं और करना भी चाहिए। इसी आदर के साथ हमने दोनों विषयों पर बोला। मान्यवर, आप कह रहे हैं हम यह चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सदन की कार्यवाही 3.58 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

(श्री अध्यक्ष के 3 बजकर 58 मिनट अपरान्ह पर पुनः पीठासीन होने पर)

(भारतीय जनता पार्टी के मा० सदस्यगण वैल में पहले से ही बैठे थे– घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

श्री काशी सिंह ऐरी जी की सूचना तथा श्री बलबीर सिंह नेगी जी की सूचना को मैं कल सुन लूंगा।

नियम 301 एवं नियम 56 की सूचनाएं

नियम 301, नियम 56 में जितनी सूचनायें प्राप्त हुई हैं उन सब को अस्वीकार किया जाता है।

स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन 2001–2002

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री [डा0 (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश]–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2001–2002 सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तरांचल विधान सभा के द्वितीय सत्र में प्राप्त नियम 301 की सूचनाओं पर सरकार द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री [डा0 (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश]–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विधान सभा के द्वितीय सत्र में प्राप्त नियम 301 की सूचनाओं पर सरकार द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 7 से मद संख्या 10 तक स्थगित की जाती है।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 13 दिसम्बर, 2002 की बैठक में दिनांक 16 एवं 17 दिसम्बर, 2002 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

दिसम्बर
16, सोमवार

(1) निधन के निदेश

(2) स्थानीय निधि–लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, 2001–2002 का सदन के पटल पर रखा जाना।

(3) वित्तीय वर्ष, 2002–2003 के अनुपूरक अनुदानों की मांग पर चर्चा, मतदान एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।

(4) विधायी कार्य:–

(क) उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण।
(आधा घण्टा)

(ख) उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण।
(आधा घण्टा)

(ग) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण।
(आधा घण्टा)

(घ) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण।
(आधा घण्टा)

17, मंगलवार (1) विधायी कार्य:–

(क) उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण।
(आधा घण्टा)

(ख) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण।
(आधा घण्टा)

(ग) भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण।
(आधा घण्टा)

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, से सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीया संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002–2003 के अनुपूरक अनुदानों के लिए माँगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या 01, विधान सभा

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री [डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या 01, विधान सभा के अन्तर्गत रु0 1803 हजार (अठारह लाख तीन हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 01, विधान सभा के अन्तर्गत रु0 1803 हजार (अठारह लाख तीन हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 03, मंत्रिपरिषद

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या 03, मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत रु0 11500 हजार (एक करोड़ पन्द्रह लाख रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 03, मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत रु0 11500 हजार (एक करोड़ पन्द्रह लाख रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 04, न्याय प्रशासन

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या 04, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रु0 20938 हजार (दो करोड़ नौ लाख अड़तीस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 04, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रु0 20938 हजार (दो करोड़ नौ लाख अड़तीस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 05, निर्वाचन

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या 05, निर्वाचन के अन्तर्गत रु0 24320 हजार (दो करोड़ तैंतालीस लाख बीस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 05, निर्वाचन के अन्तर्गत रु0 24320 हजार (दो करोड़ तैंतालीस लाख बीस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री (डॉ० हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रु० 428727 हजार (बयालीस करोड़ सत्तासी लाख सत्ताईस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रु० 428727 हजार (बयालीस करोड़ सत्तासी लाख सत्ताईस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें

डॉ० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या 07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रु० 165538 हजार (सोलह करोड़ पचपन लाख अड़तीस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रु० 165538 हजार (सोलह करोड़ पचपन लाख अड़तीस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 08, आबकारी

*आबकारी एवं पर्यटन मंत्री (श्री तेजपाल सिंह रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 08, आबकारी के अन्तर्गत रु० 4507 हजार (पैंतालीस लाख सात हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 08, आबकारी के अन्तर्गत रु० 4507 हजार (पैंतालीस लाख सात हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुदान संख्या 09, लोक सेवा आयोग

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या 09, लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत रु0 807 हजार (आठ लाख सात हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 09, लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत रु0 807 हजार (आठ लाख सात हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 10, पुलिस एवं जेल

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या 10, पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रु0 446084 हजार (चौवालीस करोड़ साठ लाख चौरासी हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10, पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रु0 446084 हजार (चौवालीस करोड़ साठ लाख चौरासी हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या 11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रु0 876520 हजार (सत्तासी करोड़ पैंसठ लाख बीस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रु0 876520 हजार (सत्तासी करोड़ पैंसठ लाख बीस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

*चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रु0 98839 हजार (नौ करोड़ अठ्ठासी लाख उन्तालीस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रु0 98839 हजार (नौ करोड़ अठ्ठासी लाख उन्तालीस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास

*श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रु0 327683 हजार (बत्तीस करोड़ छिहत्तर लाख तिरासी हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रु0 327683 हजार (बत्तीस करोड़ छिहत्तर लाख तिरासी हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 14, सूचना

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या 14, सूचना के अन्तर्गत रु0 14766 हजार (एक करोड़ सैंतालीस लाख छियासठ हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14, सूचना के अन्तर्गत रु0 14766 हजार (एक करोड़ सैंतालीस लाख छियासठ हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुदान संख्या 15, कल्याण योजनाएं

समाज कल्याण मंत्री (श्री राम प्रसाद टम्टा)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 15, कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत रु0 22866 हजार (दो करोड़ अठाईस लाख छियासठ हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15, कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत रु0 22866 हजार (दो करोड़ अठाईस लाख छियासठ हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 16, श्रम एवं रोजगार

श्रम एवं परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 16, श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत रु0 3526 हजार (पैंतीस लाख छब्बीस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16, श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत रु0 3526 हजार (पैंतीस लाख छब्बीस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 17, कृषि कर्म एवं अनुसन्धान

कृषि, कृषि विपणन एवं जलागम प्रबन्धन मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 17, कृषि कर्म एवं अनुसन्धान के अन्तर्गत रु0 98476 हजार (नौ करोड़ चौरासी लाख छिहत्तर हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17, कृषि कर्म एवं अनुसन्धान के अन्तर्गत रु0 98476 हजार (नौ करोड़ चौरासी लाख छिहत्तर हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 18, सहकारिता

सहकारिता, पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 18, सहकारिता के अन्तर्गत रु0 16740 हजार (एक करोड़ सड़सठ लाख चालीस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18, सहकारिता के अन्तर्गत रु0 16740 हजार (एक करोड़ सड़सठ लाख चालीस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 19, ग्राम्य विकास

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 19, ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रु0 630815 हजार (तिरसठ करोड़ आठ लाख पन्द्रह हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19, ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रु0 630815 हजार (तिरसठ करोड़ आठ लाख पन्द्रह हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 20, सिंचाई एवं बाढ़

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या 20, सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रु0 396755 हजार (उन्तालीस करोड़ सड़सठ लाख पचपन हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20, सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रु0 396755 हजार (उन्तालीस करोड़ सड़सठ लाख पचपन हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 21, ऊर्जा

*ऊर्जा एवं राज्य मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या 21, ऊर्जा के अन्तर्गत रु0 1787780 हजार (एक अरब अठहत्तर करोड़ सतहत्तर लाख अस्सी हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21, ऊर्जा के अन्तर्गत रु0 1787780 हजार (एक अरब अठहत्तर करोड़ सतहत्तर लाख अस्सी हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 22, लोक निर्माण कार्य

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या 22, लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रु0 37500 हजार (तीन करोड़ पचहत्तर लाख रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22, लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रु0 37500 हजार (तीन करोड़ पचहत्तर लाख रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 23, उद्योग

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 23, उद्योग के अन्तर्गत रु0 210344 हजार (इक्कीस करोड़ तीन लाख चौवालीस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23, उद्योग के अन्तर्गत रु0 210344 हजार (इक्कीस करोड़ तीन लाख चौवालीस हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुदान संख्या 24, परिवहन

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 24, परिवहन के अन्तर्गत रु0 142500 हजार (चौदह करोड़ पच्चीस लाख रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24, परिवहन के अन्तर्गत रु0 142500 हजार (चौदह करोड़ पच्चीस लाख रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 25, खाद्य

श्री हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 25, खाद्य के अन्तर्गत रु0 2690 हजार (छब्बीस लाख नब्बे हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25, खाद्य के अन्तर्गत रु0 2690 हजार (छब्बीस लाख नब्बे हजार रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 26, पर्यटन

श्री टी0पी0एस0 रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 26, पर्यटन के अन्तर्गत रु0 20000 हजार (दो करोड़ रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26, पर्यटन के अन्तर्गत रु0 20000 हजार (दो करोड़ रुपये) की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 28, पशुपालन

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव

करता हूँ कि अनुदान संख्या 28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत रु0 63503 हजार (छः करोड़ पैंतीस लाख तीन हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत रु0 63503 हजार (छः करोड़ पैंतीस लाख तीन हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल विनियोग (2002–2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2002

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री [डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विनियोग (2002–2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (2002–2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विनियोग (2002–2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित की जायं।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल विनियोग (2002–2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (2002–2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 3 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल विनियोग (2002–2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2002

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1–यह अधिनियम उत्तरांचल विनियोग (2002–2003 का अनुपूरक) अधिनियम, 2002 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2003 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तरांचल की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग रुपये (पांच सौ नब्बे करोड़, चौदह लाख, उन्नीस हजार) मात्र होता है, अधिक न हो। उत्तरांचल की समेकित निधि में से वर्ष 2002–2003 के लिये रु० 5,90,14,19,000 का दिया जाना

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं। विनियोग

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)			
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
01	विधान सभा	राजस्व :	1803	0	1803
		पूंजी :	0	0	0
02	राज्यपाल	राजस्व :	0	2715	2715
		पूंजी :	0	0	0

1	2	3	4	5	6
03	मंत्रिपरिषद	राजस्व :	11500	0	11500
		पूंजी :	0	0	0
04	न्याय प्रशासन	राजस्व :	20938	950	21888
		पूंजीः	0	0	0
05	निर्वाचन	राजस्व :	24320	0	24320
		पूंजी :	0	0	0
06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व :	411227	3377	414604
		पूंजीः	17500	0	17500
07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व :	165536	38210	203746
		पूंजी :	2	140	142
08	आबकारी	राजस्व :	4507	0	4507
		पूंजीः	0	0	0
09	लोक सेवा आयोग	राजस्व :	0	0	0
		पूंजी :	807	0	807
10	पुलिस एवं जेल	राजस्व :	177883	0	177883
		पूंजीः	268201	0	268201
11	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व :	816773	0	816773
		पूंजी :	59747	0	59747
12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व :	68424	0	68424
		पूंजीः	30415	0	30415
13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व :	327683	0	327683
		पूंजी :	0	0	0
14	सूचना	राजस्व :	14766	0	14766
		पूंजीः	0	0	0
15	कल्याण योजनायें	राजस्व :	22866	0	22866
		पूंजी :	0	0	0
16	श्रम और रोजगार	राजस्व :	3526	0	3526
		पूंजीः	0	0	0
17	कृषिकर्म एवं अनुसंधान	राजस्व :	58476	0	58476
		पूंजी :	40000	0	40000
18	सहकारिता	राजस्व :	6740	0	6740
		पूंजी :	10000	0	10000

1	2	3	4	5	6
19	ग्राम्य विकास	राजस्व :	460815	0	460815
		पूंजी :	170000	0	170000
20	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व :	293755	0	293755
		पूंजी:	103000	0	103000
21	ऊर्जा	राजस्व :	802410	500	802910
		पूंजी :	985370	0	985370
22	लोक निर्माण कार्य	राजस्व :	30000	0	30000
		पूंजी:	7500	0	7500
23	उद्योग	राजस्व :	210344	0	210344
		पूंजी :	0	0	0
24	परिवहन	राजस्व :	122500	0	122500
		पूंजी:	20000	0	20000
25	खाद्य	राजस्व :	2890	0	2890
		पूंजी :	0	0	0
26	पर्यटन	राजस्व :	0	0	0
		पूंजी:	20000	0	20000
28	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व :	14992	0	14992
		पूंजी :	48511	0	48511
	योग		5855527	45892	5901419

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 3 तक, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल विनियोग (2002–2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (2002–2003 का अनुपूरक) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[श्री अध्यक्ष द्वारा उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2002 पर अननुमोदन का संकल्प प्रस्तुत करने हेतु श्री प्रकाश पंत एवं श्री मातबर सिंह कण्डारी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य खड़े नहीं हुए]

उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2002

पंचायतराज मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 3 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2002

विधेयक

अध्याय–1

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. यह अधिनियम उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा।
2. इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।
3. यह दिनांक 28 अक्टूबर, 2002 में प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय–2

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित) की क्रमशः धारा 12, धारा 8 व 20 के बाद उपधारा (3–क) को निम्नवत संशोधित समझा जायेगा।

(3–क)–इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी जहां अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोकहित में किसी क्रमशः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत का संघटन करने के लिए उसके कार्यकाल के अवसान तथा उसके बाद बढ़ी हुई छः माह की अवधि के पूर्व निर्वाचन कराना साध्य नहीं है, वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी आदेश द्वारा प्रशासक नियुक्त कर सकता है और ऐसा प्रशासक छः माह से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, पद धारण करेगा और क्रमशः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत उसके क्रमशः प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष और समितियों की समस्त शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य तथा स्थिति ऐसे प्रशासक में निहित होंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 3 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) विधेयक, 2002

संसदीय कार्य एवं लोक निर्माण मंत्री [डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 3 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मंदिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) विधेयक, 2002

विधेयक

1. (क) यह अधिनियम उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहलाएगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

   (ख) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. अधिनियम संख्या 16, वर्ष 1939 की धारा 5 की उपधारा (1) प्रस्तर (ख) और (छ) में संशोधन–

   (क) अधिनियम संख्या 16, वर्ष 1939 की धारा 5 की उपधारा (1) के प्रस्तर (ख) में इंगित शब्दों "उत्तर प्रदेश विधान परिषद के एक निर्वाचित हिन्दू सदस्य" को निरसित समझा जाएगा एवं "विधान सभा से निर्वाचित दो हिन्दू सदस्यों" के स्थान पर "विधान सभा से निर्वाचित 3 हिन्दू सदस्यों" पढ़ा जाएगा।

(ख) मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 के प्रस्तर (छ) में राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या 'सात' के स्थान पर 'दस एवं एक उपाध्यक्ष' पढ़ा जाएगा।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के प्रस्तर (छ) के बाद एक नया परन्तुक जोड़ा जाना–

मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के प्रस्तर (छ) के बाद एक नया परन्तुक निम्नवत जोड़ दिया जाएगा–

"परन्तु राज्य सरकार उतनी संख्या में, जितना वह उचित समझे, सरकार के अधिकारियों को नामित कर सकेगी।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 3 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[श्री अध्यक्ष जी द्वारा उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916)(संशोधन) अध्यादेश, 2002 पर अननुमोदन का संकल्प प्रस्तुत करने हेतु श्री प्रकाश पंत और श्री महेन्द्र भट्ट का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य खड़े नहीं हुए]

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2002

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 8 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2002

विधेयक

भारत के गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, आरम्भ और विस्तार

1. (क) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा।
   (ख) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।
   (ग) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 9(1)(क) का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 9(1)(क) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी:—

धारा 9(1)(क) का संशोधन

निर्वाचित सदस्य, जिनकी संख्या 4 से कम और 45 से अधिक नहीं होगी, जैसा कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

धारा 9—क का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 9—क के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "सत्ताईस" के स्थान पर शब्द "चौदह" रख दिया जायेगा।

धारा 13—ख का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 13—ख में निम्नलिखित उपधारा (3) बढ़ा दी जायेगी:—

"(3) राज्य निर्वाचन आयोग सभी निर्वाचनों में प्रत्येक प्रत्याशी से नामांकन—पत्र के साथ उसकी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनायें जैसा आवश्यक समझे, का शपथ—पत्र के साथ घोषणा—पत्र प्राप्त करेगा और मतदाताओं को उसकी जानकारी कराने के लिये खण्ड (ग) तथा (ङ) की सूचनाओं को छोड़कर प्रमुख दैनिक समाचार—पत्रों में प्रकाशित करायेगा:—

(क) क्या वह अतीत में किसी अपराधिक मामले में दोषी पाया गया है ? दोष मुक्त हुआ है ? आरोप से उन्मोचित हुआ है ? या दोषी पाये जाने की स्थिति में उसे दण्ड या अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ?

(ख) नामांकन भरने से छः माह पूर्व क्या अभ्यर्थी किसी ऐसे लम्बित मामले में अभियुक्त रहा है जिसमें दो वर्ष या अधिक की सजा हो सकती है, एवं मामले में आरोप निर्धारित हो चुके हो या न्यायालय ने संज्ञान में लिया हो ? का विवरण;

(ग) वह और उसके पति या पत्नी तथा आश्रितों की चल, अचल सम्पत्तियों, बैंक बैलेंस आदि से सम्बन्धित पूर्ण सूचना;

(घ) उस पर देनदारियों विशेषकर उसके द्वारा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकार की अवशेष राशि का समय से भुगतान न करने की दशा में उसका पूर्ण विवरण;

(ङ) उसकी आय के साधन तथा वर्तमान मासिक/वार्षिक आय का पूर्ण विवरण;

(च) वह विवाहित अथवा अविवाहित;

(छ) उसके कुल बच्चों की संख्या और उनकी आयु व शिक्षा पर व्यय का विवरण;

(ज) उसकी आयकर तथा भूमि- भवनकर, प्रद्योपकर/ शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली वार्षिक धनराशि का पूर्ण विवरण; और

(झ) उसकी शैक्षिक योग्यता का विवरण।"

धारा 13-ग का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 13-ग में निम्नलिखित उपधारा (घ) बढ़ा दी जायेगी:-

"(घ) वह एक से अधिक वार्ड के लिये अभ्यर्थी न हो।"

धारा 13-घ का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 13-घघ, के बाद उपधारा ङ 13-घ (छ) के बाद उपधारा (ज) तथा 13-घ(ट) के बाद उपधारा (ठ) (ड) (ढ) (ण) तथा (त) निम्नवत् बढ़ा दिये जायेंगे:-

(ङ) "उसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं जिनमें से एक का जन्म इस धारा के प्रवृत्त होने की तिथि के 300 दिवस के पश्चात हुआ है;" या

(ज) "महिला के विरुद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया है;" या

(ठ) "किसी ऐसे समाचार-पत्र में, जिसमें नगरपालिका के कार्यकलापों से सम्बन्धित कोई विज्ञापन दिया जा सकता है, अंश या हित रखता है;" या

(ड) "किसी ऐसी संस्था जो नगरपालिका से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, का वैतनिक कर्मचारी है;" या

(ढ) "यदि वह या उसके परिवार का सदस्य या उसका कानूनी वारिस नगरपालिका के स्वामित्व या प्रबन्धन की भूमि या भवन या सार्वजनिक सड़क या पटरी, नाली, नाला पर अनाधिकृत कब्जा करता है अथवा किसी ऐसे अनाधिकृत कब्जे से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करता है;" या

(ण) "नगरपालिका के किसी भी कर्मचारी संवर्ग या वर्ग के संघ या यूनियन का प्रतिनिधि या पदाधिकारी है;" या

(त) "नगरपालिका के अधिनियम, नियम, उपविधियां, विनियम, शासनादेश का उल्लंघन करने, नगरपालिका के हितों की उपेक्षा करने का सिद्ध दोषी ठहराया गया हो।"

7. मूल अधिनियम की धारा 13–घ के बाद निम्नलिखित धारा 13–न पुरःस्थापित कर दी जायेगी:– धारा 13–न का पुरःस्थापन

"मतदान की रीति"– किसी वार्ड के प्रत्येक निर्वाचन में जहां मतदान लिया जाये, मत गूढ़ शलाका या वोटिंग मशीन द्वारा दिये जायेंगे तथा कोई मत प्रतिनिधिक मतदान द्वारा नहीं लिया जायेगा।"

8. मूल अधिनियम की धारा 43–कक की उपधारा (2)(क) में उपधारा "(ट)" के बाद उपधारा 13 घ के बाद उपधारा (ठ) (ड) (ढ) (ण) तथा (त) रख दिये जायेंगे। धारा 43–कक का संशोधन

9. (क) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तरांचल अध्यादेश सं0–3, सन्, 2002

(ख) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे। निरसन और अपवाद

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 8 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नव प्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[श्री अध्यक्ष जी द्वारा उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 पर अननुमोदन का संकल्प प्रस्तुत करने हेतु श्री मातबर सिंह कण्डारी तथा श्री महेन्द्र भट्ट का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य खड़े नहीं हुए]

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2002

श्री नव प्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 8 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2002

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में अग्रेतर संशोधन के लिये:–

विधेयक

भारत के गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

1. (क) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा।
(ख) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।
(ग) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 6 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 6(1)(क) में शब्द "साठ" के स्थान पर शब्द "बीस" तथा शब्द "एक सौ दस" के स्थान पर शब्द "पैंतालिस" रख दिया जायेगा।

धारा 7(1) का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 7(1) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "सत्ताईस" के स्थान पर शब्द "चौदह" रख दिया जायेगा।

4. मूल अधिनियम की धारा 24 में निम्नलिखित खण्ड (घ) बढ़ा दिया जायेगाः– धारा 24 का संशोधन

"(घ) वह एक से अधिक वार्ड के लिये अभ्यर्थी न हो।"

5. मूल अधिनियम की धारा 25(1) खण्ड (ट) के बाद निम्नलिखित धारा बढ़ा दिये जायेंगेः– धारा 25(1) का संशोधन

(ठ) "उसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं जिनमें से एक का जन्म इस धारा के प्रवृत्त होने की तिथि के 300 दिवस के पश्चात हुआ है;" या

(ड) "महिला के विरुद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया है;" या

(ढ) "किसी ऐसे समाचार–पत्र में, जिसमें नगरपालिका के कार्यकलापों से सम्बन्धित कोई विज्ञापन दिया जा सकता है, अंश या हित रखता है;" या

(ण) "किसी ऐसी संस्था जो नगरपालिका से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, का वैतनिक कर्मचारी है;" या

(त) "यदि वह या उसके परिवार का सदस्य या उसका कानूनी वारिस नगरपालिका के स्वामित्व या प्रबन्धन की भूमि या भवन या सार्वजनिक सड़क या पटरी, नाली, नाला पर अनाधिकृत कब्जा करता है अथवा किसी ऐसे अनाधिकृत कब्जे से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करता है;" या

(थ) "नगरपालिका के किसी भी कर्मचारी संवर्ग या वर्ग के संघ या यूनियन का प्रतिनिधि या पदाधिकारी है;" या

(द) "नगरपालिका के अधिनियम, नियम, उपविधियां, विनियम, शासनादेश का उल्लंघन करने, नगरपालिका के हितों की उपेक्षा करने का सिद्ध दोषी ठहराया गया हो।"

6. मूल अधिनियम की धारा 44 में शब्द "मत गूढ़ शलाका" के बाद शब्द "अथवा वोटिंग मशीन" रख दिया जायेगा। धारा 44 का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 45 में निम्नलिखित उपधारा (3) बढ़ा दी जायेगीः– धारा 45 में एक नई उपधारा (3) का बढ़ाया जाना

"(3) राज्य निर्वाचन आयोग सभी निर्वाचनों में प्रत्येक प्रत्याशी से नामांकन–पत्र के साथ उसकी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनायें जैसा आवश्यक समझे, का शपथ–पत्र के साथ घोषणा–पत्र प्राप्त करेगा और मतदाताओं को उसकी जानकारी कराने के लिये खण्ड (ग) तथा (ड) की सूचनाओं को छोड़कर प्रमुख दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित करायेगा–

(क) क्या वह अतीत में किसी अपराधिक मामले में दोषी पाया गया है ? दोष मुक्त हुआ है आरोप से उन्मोचित हुआ है ? या दोषी पाये जाने की स्थिति में उसे दण्ड या अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ?

(ख) नामांकन भरने से छः माह पूर्व क्या अभ्यर्थी किसी ऐसे लम्बित मामले में अभियुक्त रहा है जिसमें दो वर्ष या अधिक की सजा हो सकती है, व मामले में आरोप निर्धारित हो चुके हों या न्यायालय ने संज्ञान में लिया हो ? का विवरण;

(ग) वह और उसके पति या पत्नी तथा आश्रितों की चल, अचल सम्पत्तियों, बैंक बैलेंस आदि से सम्बन्धित पूर्ण सूचना;

(घ) उस पर देनदारियों विशेषकर उसके द्वारा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकार की अवशेष राशि का समय से भुगतान न करने की दशा में उसका पूर्ण विवरण;

(ङ) उसकी आय के साधन तथा वर्तमान मासिक/वार्षिक आय का पूर्ण विवरण;

(च) वह विवाहित अथवा अविवाहित;

(छ) उसके कुल बच्चों की संख्या और उनकी आयु व शिक्षा पर व्यय का विवरण;

(ज) उसकी आयकर तथा भूमि- भवनकर, प्रक्षेपकर/ शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली वार्षिक धनराशि का पूर्ण विवरण; और

(झ) उसकी शैक्षिक योग्यता का विवरण।"

धारा 177 का संशोधन

8. मूल अधिनियम की धारा 177 में:-

(क) उपधारा (ग) के स्थान पर निम्नांकित उपधारा रख दी जायेगी:-

"(ग) भवन जो एक मात्र स्कूल और कालेजों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तथा राज्य सरकार के स्वामित्व में हो;"

(ख) उपधारा (ज) निकाल दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

9. (1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1959 के उपबन्धों के अधीन कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 8 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नव प्रभात–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत आज 7 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इन सभी सूचनाओं को अस्वीकृत किया जाता है।

(अब हम कल दिनांक 17–12–2002 के 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं)

(इसके बाद सदन 4 बजकर 35 मिनट पर मंगलवार 17–12–2002/अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

महेश चन्द्र
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

देहरादून :

दिनांक : 16 दिसम्बर, 2002

पी0एस0यू0पी0 (आर0ई0) 08 विधान सभा/122–09–07–2003–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।